VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

राजव्यवस्था

का सारांश

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

ABHYAAS MAINS 2024

ALL INDIA MAINS (GS + ESSAY + OPTIONAL) MOCK TEST (OFFLINE)

OFFLINE IN 40+ CITIES

PAPER DATES

GS-I & II	GS-III & IV	ESSAY	OPTIONAL-I & II
24 AUG	25 AUG	31 AUG	1 SEPT

OPTIONAL SUBJECTS: ANTHROPOLOGY | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY | MATHS | PHILOSOPHY | PHYSICS | POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION | SOCIOLOGY

Scan to Know More and Register

- All India Percentile
- Comprehensive Evaluation
- Concrete Feedback & Corrective Measures
- Complete coverage of UPSC Mains syllabus
- Available in English/Hindi
- Live Test Discussion

Register at: www.visionias.in/abhyaas

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR (MP) COIMBATORE | DEHRADUN | DELHI - KAROL BAGH | DELHI - MUKHERJEE NAGAR | GHAZIABAD | GORAKHPUR GURUGRAM | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI KOLKATA | KOTA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | ORAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE RAIPUR RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA VISAKHAPATNAM

विषय-सूची

1. भारतीय संविधान, उसके मुख्य प्रावधान और मूल ढांचा (INDIAN CONSTITUTION, PROVISIONS AND BASIC STRUCTURE)....5
1.1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण {Economically Weaker Sections (EWS) Reservation}....5
1.2. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 {Citizenship (Amendment) Rules, 2024}....5
1.3. हेट स्पीच (Hate Speech)....6
1.4. अनुच्छेद 370 की समाप्ति (Abrogation of Article 370)....7
1.5. अनुच्छेद 142....7
1.6. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)....8
1.7. लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग (Ladakh demand Sixth Schedule)....8
1.8. नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)....9
1.9. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)....10

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (ISSUES AND CHALLENGES PERTAINING TO THE FEDERAL STRUCTURE)....11
2.1. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)....11
2.2. राजकोषीय संघवाद (FISCAL FEDERALISM)....12
2.3. विशेष श्रेणी का दर्जा (SPECIAL CATEGORY STATUS: SCS)....12
2.4. अंतर्राज्यीय जल विवाद (Interstate Water Dispute: ISWD)....13
2.5. गवर्नर की भूमिका....14
2.6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 {GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) ACT 2023}....14
2.7. एक राष्ट्र एक भाषा (One Nation One Language)....15

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना एवं कार्य-प्रणाली (PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURES: STRUCTURE AND FUNCTIONING)...16
3.1. कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges of Lawmakers)....16
3.2. संसदीय कार्य-प्रणाली (Parliamentary Functioning)....17
3.3. अध्यक्ष का पद (Office of Speaker)....17
3.4. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law: ADL)....18
3.5. प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)....19

4. न्यायिक और अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकायों की संरचना एवं कार्यप्रणाली (STRUCTURE AND FUNCTIONING OF JUDICIARY AND OTHER QUASI-JUDICIAL BODIES)....20
4.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts)....20
4.2. जेल सुधार (Prison Reform)....22
4.3. भारत में अधिकरण प्रणाली (Tribunal System in India)....23
4.4. न्यायिक नियुक्तियां (Judicial Appointments)....24
4.5. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service: AIJS)....25
4.6. सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें (Regional Benches of Supreme Court)....26
4.7. न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)....27
4.8. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023)....28
4.9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) (National Legal Services Authority: NALSA)....29

5. भारत में चुनाव (ELECTIONS IN INDIA)....30
5.1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023)....30
5.2. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)....31
5.3. चुनावी फंडिंग (Electoral Funding)....32
5.4. राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र (Internal Party Democracy)....33
5.5. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)....34
5.6. आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct: MCC)....35
5.7. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनाव (Artificial Intelligence and Elections)....36
5.8. मास मीडिया और चुनाव (Mass Media and Election)....37
5.9. नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections)....38

6. शासन व्यवस्था (GOVERNANCE)....39
6.1. शासन में सिविल सेवकों की भूमिका (ROLE OF CIVIL SERVANTS IN GOVERNANCE)....39
6.2. प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना (REVAMPED SCHEME FOR ADMINISTRATIVE REFORMS)....40
6.3. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta)....40
6.4. सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका (ROLE OF TECHNOLOGY IN PUBLIC SERVICES DELIVERY)....41
6.5. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)....42
6.6. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Cinematograph (Amendment) Bill, 2023}....43
6.7. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 {The Cinematograph (Certification) Rules, 2024}....44
6.8. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण (Constitutionalization of Environmental Issues)....45
6.9. भारत में मंदिरों का विनियमन (Temple Regulation in India)....46

7. स्थानीय स्वशासन (LOCAL GOVERNANCE)....47
7.1. भारत में अर्बन गवर्नेंस (Urban Governance in India)....47
7.2. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण {CAPACITY BUILDING OF URBAN LOCAL BODIES (ULBS)}....48
7.3. पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति {Finances of Panchayati Raj Institutions (PRIs)}....49

8. महत्वपूर्ण अधिनियम एवं विधान (IMPORTANT ACTS AND LEGISLATIONS)....50
8.1. नारी शक्ति वंदन {संविधान (106वां संविधान संशोधन)} अधिनियम, 2023 [Nari Shakti Vandan {Constitution (106th Amendment)} Act, 2023]....50
8.2. दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act 2023)....51
8.3. ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स का विनियमन {Over-The-Top (OTT) Platforms Regulations}....52
8.4. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)....52
8.5. प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 {Press and Registration of Periodicals (PRP) Bill, 2023}....53

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

- आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल से आवश्यक जानकारी का संकलन कर मेन्स 365 राजव्यवस्था डॉक्यूमेंट का सारांश तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।
- मेन्स 365 राजव्यवस्था डॉक्यूमेंट के सारांश में UPSC मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया गया है। साथ ही, इन घटनाक्रमों के महत्त्व, संबंधित सरोकारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और आवश्यक संवैधानिक प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- यह डॉक्यूमेंट आपको प्रमुख टॉपिक को जल्दी और प्रभावी ढंग से रिवाइज करने में मदद करेगा।
- इस डॉक्यूमेंट को इन्फोग्राफिक प्रारूप में डिजाइन किया गया है, जिससे आप इसमें दी गई जानकारी को आसानी से उत्तर लेखन में शामिल कर सकते हैं।
- अपनी तैयारी में सुधार करने और UPSC मेन्स में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग कीजिए।

Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2025

6 अगस्त 2024

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2025 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 15 माह का कार्यक्रम)

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 15 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 15000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।
- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

1. भारतीय संविधान, उसके मुख्य प्रावधान और मूल ढांचा (INDIAN CONSTITUTION, PROVISIONS AND BASIC STRUCTURE)

1.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण {Economically Weaker Sections (EWS) Reservation}

EWS के लिए आरक्षण के बारे में: सुप्रीम कोर्ट ने **जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद, 2022** में सुनवाई के बाद **103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार** रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग (General category) की आबादी में **EWS को 10% आरक्षण** दिया गया है।

मुख्य तथ्य एवं जानकारी

- **सिन्हो आयोग** की सिफारिशों के आधार पर EWS को आरक्षण प्रदान किया गया है। इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** के द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 15(6) और 16(6)** को जोड़ा गया है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (SC/ ST) वर्ग शामिल नहीं हैं।
- यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को EWS को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है।

EWS आरक्षण से संबंधित चिंताएं

- **समानता के सिद्धांत का उल्लंघन** (OBCs व SCs/ STs समुदायों को EWS से बाहर करने से, **खुली प्रतियोगिता के अवसरों का लाभ उठाने की उनकी पात्रता में समानता का स्पष्ट उल्लंघन होता है।)**
- इसका उपयोग गरीबी उन्मूलन उपाय के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- 8 लाख रुपये से सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग भी इसके दायरे में आ जाएंगे।
- यह बढ़ती मांगों के लिए 'भानुमती का पिटारा' खोलने जैसा है

आगे की राह

- सर्वाधिक वास्तविक लक्ष्य समूहों की पहचान करने के लिए **अधिक विस्तृत डेटा और दिशा-निर्देश** महत्वपूर्ण हैं।
- **रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियां** EWS के लिए बेहतर काम करेंगी।
- शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता देना

1.2 नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 {Citizenship (Amendment) Rules, 2024}

प्रमुख बिंदु

- ऐसा **नागरिकता संशोधन अधिनियम** (CAA), **2019 को लागू** करने के उद्देश्य से किया गया है।
- आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में **20 अलग-अलग दस्तावेज** प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि शामिल हैं।
- नागरिकता के लिए आवेदन **जिला स्तरीय समिति** के माध्यम से **अधिकार प्राप्त समिति** (Empowered Committee) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा।

CAA, 2019 की आवश्यकता क्यों है?
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना**
- **विभाजन के समय से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करना**
- **उत्पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करके मानवाधिकारों के सिद्धांतों** को बरकरार रखता है

उठाई गई चिंताएं
- अन्य पड़ोसी देशों, जैसे- **श्रीलंका (बौद्ध धर्म राजकीय धर्म है) और म्यांमार (बौद्ध धर्म की प्रधानता)** के प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है।
- CAA नियम, 2024 के तहत यह साबित करने या जांचने के लिए कोई फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया गया है कि आवेदक को उत्पीड़न या उत्पीड़न के भय से भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
- **बांग्लादेश के साथ राजनयिक तनाव की संभावना**
- CAA से मुसलमानों, यहूदियों और अनीश्वरवादियों (Atheists) को बाहर रखने को संविधान के अनुच्छेद 14 व पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है।

निष्कर्ष

उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करना है। इसलिए, एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए मुद्दों का समाधान करना अति आवश्यक है।

1.3 हेट स्पीच (Hate Speech)

भारत में हेट स्पीच का विनियमन
- **अनुच्छेद 19(2)** के तहत लोक व्यवस्था, अपराध के लिए उकसावे और राज्य की सुरक्षा के आधार पर घृणास्पद भाषण पर रोक लगाई गई है।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 353(2):** विभिन्न धार्मिक समूहों आदि के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाएँ फैलाने पर कारावास से दंडित किया जाएगा।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8):** यह अवैध भाषण के लिए दोषी ठहराए गए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
- **अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने भाषण की स्वतंत्रता के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने और घृणा एवं सांप्रदायिक वैमनस्य को फैलने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015):** वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाए जा सकते हैं जब इससे हिंसा भड़के या सार्वजनिक अव्यवस्था फैले।

हेट स्पीच से संबंधित मुद्दे
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ टकराव
- **जागरूकता और उपयुक्त आई.टी. अधिनियम या विनियामक तंत्र की कमी है**
- 'हेट स्पीच' शब्दावली को भारत में किसी भी **कानून द्वारा परिभाषित नहीं** किया गया है

वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम
- **रबात एक्शन प्लान (2012):** इसमें एकता व सहिष्णुता को बढ़ावा देने और नफरत को रोकने के लिए सामूहिक जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया है।
- **हेट स्पीच पर संयुक्त राष्ट्र रणनीति और कार्य योजना (2019):** इसका उद्देश्य हेट स्पीच से निपटने के लिए अलग-अलग देशों के प्रयासों को समर्थन और पूरकता प्रदान करने हेतु एक रोडमैप प्रस्तुत करना है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2686 (2023):** इसमें हेट स्पीच एवं अतिवाद से निपटने के लिए बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

आगे की राह

- हेट स्पीच की कानूनी परिभाषा
- न्यायिक उपाय जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के माध्यम से हेट स्पीच के मामलों का निपटान किया जा सकता है
- गैर-वैधानिक उपाय जैसे **धार्मिक नेताओं को एकजुट करना चाहिए** और **रणनीतिक हस्तक्षेप (सोशल मीडिया के संदर्भ में) करना चाहिए।**

1.4 अनुच्छेद 370 की समाप्ति (Abrogation of Article 370)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- **अनुच्छेद 370 की प्रकृति:** यह संविधान में 'एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान' था।
- **सत्य और सुलह आयोग:** TRC जम्मू-कश्मीर में **सरकार और गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच व उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत** करेगा।
- कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं **(जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग** है और रहेगा।)

प्रभाव

- **अधिकारों का विस्तार** और सभी **केंद्रीय कानूनों के लाभ** अब जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगे।
- नए भूमि कानून; सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान; जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देना आदि।
- **अनन्य संपत्ति अधिकारों और अलग प्रतीक/ कानून की समाप्ति** (अपना झंडा व संविधान और अपनी दंड संहिता)

निष्कर्ष

- जम्मू-कश्मीर में **आर्थिक विकास** को बढ़ावा देना और **वहां जल्द ही विधान सभा चुनाव कराना** (शीर्ष अदालत ने भारतीय निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है।)

1.5 अनुच्छेद 142

अनुच्छेद 142

सकारात्मक प्रभाव

- **विधायी शून्यता वाले अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान करना** (विशाखा दिशा-निर्देश)
- **लोकतंत्र को मजबूत करना** (निजता से संबंधित)
- **नागरिक अधिकार** (बेटियों का सहदायिक/ समान उत्तराधिकार)
- **समानता को बढ़ावा** (भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्णय दिया था)

नकारात्मक प्रभाव

- **परिभाषा में सब्जेक्टिविटी:** एक मानक परिभाषा की अनुपस्थिति के कारण इसका मनमाने ढंग से उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है
- न्यायपालिका और विधायिका के बीच अस्पष्ट सीमाएं
- गैर-जवाबदेही
- अनुच्छेद 142 के तहत असंगत कानूनी फैसले व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी की योजना बनाने व कार्यवाहियों को जटिल बना सकते हैं

आगे की राह

- न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए निर्णय प्रासंगिक तथ्यों और विचारों पर आधारित हों।**
- अनुच्छेद 142 को लागू करने वाले **सभी मामलों** को कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।
- 'पूर्ण न्याय' पद की अस्पष्टता का उपयोग मनमाने निर्णयों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 'पूर्ण न्याय' के लिए दिशा-निर्देश स्थापित किए जाने चाहिए।

1.6 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

UCC के बारे में

UCC का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने से है। **यह समान कानून सभी धार्मिक समुदायों** के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक **समान रूप से लागू होगा।**

गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही **समान नागरिक संहिता** लागू है। यह UCC से अलग है और पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code), 1867 के रूप में मौजूद है।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **शाहबानो केस (1985):** सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर गुजारा-भत्ता संबंधी मामलों में UCC की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा (2019):** सुप्रीम कोर्ट ने समान व्यवस्था रखने के लिए समान कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **विधि आयोग (2018):** अब UCC की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है।

भारत में वैयक्तिक कानून

- हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम।
- मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम वैयक्तिक कानून।
- ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925.
- अंतर्धार्मिक विवाहों के लिए, विशेष विवाह अधिनियम।

UCC के पक्ष में तर्क

- राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के तहत **अनुच्छेद 44** में UCC का प्रावधान किया गया है।
- UCC के लागू होने से **पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा** जा सकेगा।
- UCC से **राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।**
- **इसके लागू होने से लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।**
- बढ़ावा देने के लिए **आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप मौजूदा कानूनों में सुधार होगा।**

UCC के खिलाफ तर्क

- UCC को लागू करने से देश के **विविध समुदायों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान कमजोर** हो सकती है।
- सभी समुदायों की **सहमति व समझौते के बिना UCC लागू करने से सामाजिक अशांति पैदा** हो सकती है।
- UCC के प्रवर्तन से संविधान की **अनुसूची 7 की प्रविष्टि 5** के तहत सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है।

आगे की राह

- आम सहमति हासिल करना।
- एक-एक करके समस्याओं को हल करने का प्रयास करना।
- वर्तमान में लागू वैयक्तिक कानूनों (Personal laws) की समीक्षा करना।

1.7. लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग (Ladakh demand Sixth Schedule)

लद्दाख को भारतीय संविधान की **छठी अनुसूची** के तहत **जनजातीय क्षेत्र** के रूप में मान्यता देने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

छठी अनुसूची के प्रावधान

- ये प्रावधान इन **चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम)** के राज्यपालों को अपने-अपने राज्य में **स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें** गठित करने का अधिकार देते हैं।
- छठी अनुसूची ने ADCs और ARCs को **"विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक" शक्तियां** प्रदान की है।

छठी अनुसूची में शामिल होने पर लद्दाख को मिलने वाले लाभ

- **सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाया** जा सकेगा।
- **भूमि संबंधी और वन अधिकारों की रक्षा** करेगी तथा उन्हें अलगाव से बचाएगी।
- अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक रीति-रिवाजों को मान्यता मिलेगी और उन्हें कानूनी रूप से संरक्षित भी किया जाएगा।
- पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन के प्रबंधन जैसे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकेगा।
- **स्थानीय मुद्दों का समाधान**

लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने से जुड़े मुद्दे

- राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सरोकार: यदि लद्दाख को अधिक स्वायत्तता दी गई, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लद्दाख व केंद्र के बीच समन्वय में जटिलता आ सकती है।
- **अंतर-सामुदायिक गतिशीलता:** छठी अनुसूची के दायरे में लेह में **बहुसंख्यक बौद्ध** और कारगिल में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायों के हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **वित्तीय व्यवहार्यता**

निष्कर्ष

लद्दाख के प्रतिनिधियों, राजनेताओं और केंद्र सरकार को शामिल करते हुए आपसी संवाद शुरू करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए खुला संचार और अन्य विकल्प तलाशने की जरूरत है।

1.8 नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

नौवीं अनुसूची

- यह **न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध** है
- इसे **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **आई. आर. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद, 2007:** नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस वाद में निर्णय दिया था कि **नौवीं अनुसूची को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती** दी जा सकती है।
- **वामन राव बनाम भारत संघ वाद, 1981:** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में 24 अप्रैल, 1973 से पहले किए गए संशोधन वैध हैं।

नौवीं अनुसूची से जुड़े मुद्दे

- **यह मूल अधिकारों के विरुद्ध है** नौवीं अनुसूची **केंद्रीय और राज्य कानूनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।**
- **यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध है, एल. चंद्र कुमार वाद (1997)** में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कि **न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की अनिवार्य विशेषता है।**
- **यह राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का साधन बन गया है।**
- **भूमि सुधार** कानूनों की सुरक्षा के लिए इसकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है।

निष्कर्ष

9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है।

1.9 परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

परिसीमन के बारे में

- परिसीमन वस्तुतः जनसंख्या में बदलाव के अनुसार **निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य है।**
- परिसीमन आयोग **समान जनसंख्या समूहों के लिए समान प्रतिनिधित्व एवं भौगोलिक क्षेत्रों का निष्पक्ष विभाजन** करता है।

परिसीमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 82:** संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करेगी, जिसके तहत परिसीमन आयोग की स्थापना की जाएगी।
- **अनुच्छेद 170:** प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के तहत, राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।

परिसीमन आयोग

- परिसीमन आयोग की नियुक्ति **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है
- इसके **निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती** है।
- आयोग में **तीन पदेन सदस्य** होते हैं:
  - **अध्यक्ष के रूप में** सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
  - **मुख्य चुनाव आयुक्त** (CEC) या CEC द्वारा नामित चुनाव आयुक्त, एवं
  - संबंधित राज्य का **राज्य चुनाव आयुक्त।**

समस्याएं

- जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के प्रभाव/मत में कमी
- 'एक नागरिक एक वोट' सिद्धांत को कमजोर करना
- कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों में असंतोष

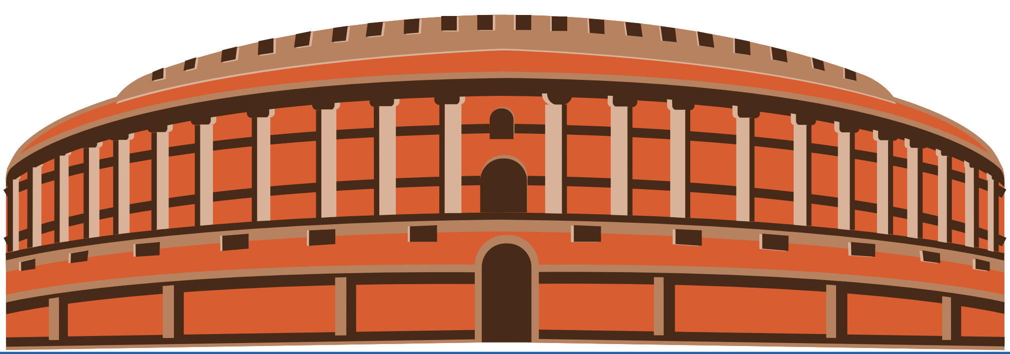

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (ISSUES AND CHALLENGES PERTAINING TO THE FEDERAL STRUCTURE)

2.1. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

भारत में सहकारी संघवाद की आवश्यकता क्यों है?

- **सामाजिक-आर्थिक और अवसंरचना संबंधी अंतराल को समाप्त करने हेतु**
- केंद्र सरकार की नीतियों के **प्रभावी कार्यान्वयन** के लिए
- **संसाधनों के उचित और समान बंटवारे** के लिए
- राज्यों को अधिक स्वायत्तता देते हुए **सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने** के लिए
- **राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन** और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को एक समन्वित तरीके से निपटाने के लिए

सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियां

- **सत्ता का अत्यधिक-केंद्रीकरण** (उदाहरण- कोविड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम)
- **अंतर्राज्यीय जल विवाद** (उदाहरण- **कावेरी नदी जल विवाद**)
- **राज्य के मामलों में हस्तक्षेप** (उदाहरण- नए कृषि कानूनों पर उत्पन्न विवाद)

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद **केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 41% (15वें वित्त आयोग) कर दिया** गया है।
- **राज्यों को** अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर **अपने व्यय की योजना बनाने की स्वतंत्रता है।**
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन** किया गया है।
- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के तहत **वित्तीय क्षेत्रक के बेलआउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित** किया गया है।

आगे की राह

- अंतर-राज्यीय परिषद के संरचनात्मक और कार्यात्मक दायरे का विस्तार करना चाहिए
- सहकारी संघवाद में मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए नीति आयोग को **संवैधानिक दर्जा प्रदान करना** चाहिए।
- वित्तीय आवंटन की सिफारिश करने हेतु एक स्थायी वित्त आयोग का गठन करना चाहिए।
- **सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को साझा करना** (उदाहरण- कर्नाटक की **'भूमि'** परियोजना)

2.2. राजकोषीय संघवाद (FISCAL FEDERALISM)

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से जुड़े विवाद या मुद्दे

- राज्यों द्वारा ऋण/ उधार लेने की सीमा को उनके **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% पर सीमित** कर दिया है।
- **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन** (कर की दरों को बढ़ाने की शक्ति काफी हद तक केंद्र सरकार के पास है)
- सभी राज्य सरकारों का संयुक्त विकासात्मक व्यय **2004-05 में 8.8%** था, जो 2021-22 में बढ़कर 12.5% हो गया था।
- **उपकर (Cess) से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ साझा न करना:** 2017-18 और 2022-23 के दौरान प्रमुख **उपकरों और अधिभारों (Surcharges) के संग्रह में 133% की वृद्धि** हुई है।
- **सहायता अनुदान में कमी**
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं में **राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना।**

आगे की राह

- जनसांख्यिकीय संक्रमण, आंतरिक एवं बाह्य प्रवासन जैसे **राज्य-विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए 16वें वित्त आयोग के साथ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है।**
- संघ और राज्यों, दोनों की बजट से इतर **बजटेतर उधारियों** (Off-budget borrowings) **की समीक्षा** करने की आवश्यकता है।
- **क्षैतिज (Horizontal) असंतुलन को दूर करना:** राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में न रखते हुए राज्यों को निश्चित व न्यूनतम वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण जरूरी है।

2.3. विशेष श्रेणी का दर्जा (SPECIAL CATEGORY STATUS: SCS)

प्रमुख तथ्य एवं जानकारी

- पहली बार SCS की शुरुआत **5वें वित्त आयोग की सिफारिश** पर की गई थी।
- SCS राज्यों को **गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के आधार** पर अनुदान प्राप्त होता है।
- **14वें वित्त आयोग** की सिफारिशों के अनुसार **अब किसी भी राज्य को SCS प्रदान नहीं** किया जाना चाहिए।

विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे से संबंधित लाभ

- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** के वित्त-पोषण के लिए **केंद्र एवं राज्य सरकारों को क्रमशः 90:10 के अनुपात** में वित्त प्रदान करना होता है।
- **खर्च नहीं किए गए फंड की निरंतरता:** खर्च न किए गए धन के मामले में, SCS राज्य आगामी वित्त वर्षों में इसे खर्च कर सकते हैं।
- **प्रोत्साहन (उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि में रियायत)**

SCS के विचार से जुड़ी चिंताएं

- SCS प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले **मानदंड का अभाव** है
- **अंतर्राज्यीय असमानताएं**
- **राजकोषीय अनुशासनहीनता** को प्रोत्साहन
- **राजकोषीय बोझ:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान केंद्र सरकार करती है।

आगे की राह	
	SCS राज्यों की केंद्रीय सहायता पर **निर्भरता कम करना।**
	SCS प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले **मानदंडों** की समीक्षा करना।
	राज्यों के बीच सहयोग एवं ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना।

2.4 अंतर्राज्यीय जल विवाद (Interstate Water Dispute: ISWD)

अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए उत्तरदायी कारक

- **नदी के जल तक समान पहुँच न होना (कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच** कावेरी जल विवाद)
- **जल की बढ़ती मांग** (2050 में जल की कुल मांग 32% तक बढ़ने का अनुमान है)
- **जल के उपयोग संबंधी अधिकारों पर स्पष्टता का अभाव** (कृष्णा नदी जल विवाद)
- **एकीकृत नदी घाटी दृष्टिकोण का अभाव** महानदी नदी बेसिन में अकुशल जल प्रबंधन के कारण विवाद और भी बदतर हो गए हैं।

अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटान से जुड़ी चुनौतियां

- **विवाद निपटान में देरी** (गोदावरी जल विवाद अधिकरण को अपना निर्णय देने में 11 वर्षों का समय लगा था)
- **अस्पष्टता** (अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार देता है)
- **बहु-आयामी दृष्टिकोण का अभाव:** पारिस्थितिकी विशेषज्ञों के इनपुट की कमी के कारण कई बार आदेशों के लागू होने पर पारिस्थितिकी क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- राजनीतिक दल अंतर्राज्यीय जल विवादों को अपने **राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति** हेतु भी उपयोग करते हैं।

आगे की राह

- जल नीति में प्रत्येक राज्य द्वारा नदी बेसिन में जल के योगदान जैसे मापदंडों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **विचार-विमर्श प्रक्रियाओं में राज्यों का एकीकरण** करना तथा सहकारी संघवाद को मजबूत करना चाहिए।
- जल प्रबंधन बोर्ड की संस्थागत संरचना में **अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों (जैसे कि पर्यावरणविद्, भूगोलवेत्ता आदि) को शामिल किया जाना चाहिए।**
- पारिस्थितिकी बहाली, नदी पारिस्थितिकी-तंत्र के संरक्षण, तथा जल आपूर्ति और मांग के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

2.5. गवर्नर की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय	**नबाम रेबिया वाद (2016):** इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है, तो **उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।**
	तमिलनाडु राज्यपाल वाद (2023): सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्यपाल राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधान-मंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब **राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है।**

संबंधित मुद्दे	**लंबित निर्णय:** कानूनों और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर सहमति में देरी से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है तथा संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है।
	प्रशासनिक अकुशलता: विशेष रूप से जहां राजनीतिक मतभेद हो, वहां राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव, कभी-कभी प्रशासनिक निर्णयों और नियुक्तियों में गतिरोध का कारण बन सकता है।
	न्यायपालिका पर बोझ: राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग या उनके कार्यों से उत्पन्न होने वाले विवाद नियमित रूप से कानूनी चुनौतियों और व्याख्याओं को उत्पन्न करते हैं।

आगे की राह	**सरकारिया आयोग:** दुर्लभ मामलों के तहत ही राज्यपाल को अपनी **विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित** रखना चाहिए, राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति संबंधित **राज्य के बाहर का व्यक्ति** होना चाहिए, राज्यपाल को **केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए आदि।**
	पुंछी आयोग: राज्यपालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे **स्वतंत्र रहें और किसी भी राजनीतिक विचार से तटस्थ होकर** कार्य करें।
	वेंकटचलैया आयोग: राज्यपाल को **राज्य के दैनिक प्रशासन में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य** करना चाहिए।

2.6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 {GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) ACT 2023}

संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

मुख्य प्रावधान	प्रमुख मुद्दे	आगे की राह
राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) का गठन	केंद्र सरकार अधिकारियों के स्थानांतरण व पोस्टिंग को नियंत्रित करती है।	राजधानी शहरों (बर्लिन, वाशिंगटन डीसी आदि) के लिए अलग-अलग शासन मॉडल्स खोजने चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) का गठन	जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला का खंडन होता है।	निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण करना चाहिए (जैसे- सिडनी को 31 स्थानीय सरकारों में विभाजित किया गया है)।
दिल्ली में शांति व स्थिरता जैसे मुद्दों पर आदेश जारी करने से पहले मंत्रियों को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के माध्यम से उप-राज्यपाल से परामर्श करना होगा।	यह विधेयक सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन करता है और उप-राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि करता है।	नगरपालिकाओं को प्रवर्तन शक्तियां प्रदान करनी चाहिए।

2.7 एक राष्ट्र एक भाषा (One Nation One Language)

हिंदी भाषा के बारे में

- हिंदी, **भारतीय-यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो-आर्यन शाखा से संबंधित है।**
- वर्ष 1949 में, **संविधान सभा ने अंग्रेजी के साथ हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा** के रूप में अपनाया।
- 2011 की **भाषाई जनगणना** के अनुसार, हिंदी भारत में **आबादी के 43.6%** द्वारा बोली जाने वाली भाषा है।

एक राष्ट्र एक भाषा की आवश्यकता क्यों?

- **भाईचारे की भावना:** इससे एवं उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की खाई को कम किया जा सकता है।
- प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण (स्वास्थ्य देखभाल) में वृद्धि।
- **सरकारी धन और समय की बचत** में सहायक

एक राष्ट्र एक भाषा से संबंधित मुद्दे

- **विविधता के विरुद्ध:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 19,569 मातृ भाषाएं बोली जाती हैं।
- **संघीय मुद्दा:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लोगों ने संचार के लिए हिंदी को पहली पसंद के रूप में चुना था।
- **अल्पसंख्यक भाषा को खतरा:** उदाहरण के लिए- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, **बो भाषा को बोलने वाले अंतिम बोआ की मृत्यु से** लगभग 70,000 वर्षों के इतिहास वाली **बो भाषा विलुप्त हो गई।**

निष्कर्ष

पूरे भारत में एक भाषा होने से भाईचारे की भावना मजबूत होगी, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, आदि। हालांकि, अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई विविधता को संरक्षित करने और इसका सम्मान करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना एवं कार्य-प्रणाली (PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURES: STRUCTURE AND FUNCTIONING)

3.1. कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges of Lawmakers)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सात-न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया है। यह पीठ पी.वी. नरसिम्हा राव वाद (1998) में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करेगी।

संसदीय विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए तर्क

- **सांसदों (या विधायकों) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना,** ताकि वे किसी कानूनी कार्रवाई के डर के बिना अपनी बात रख सकें।
- बिना किसी हस्तक्षेप के **दोनों सदनों के स्वतंत्र और प्रभावी काम-काज के लिए।**
- **विधायिका के अधिकार व गरिमा** को बनाए रखना।
- संसदीय सत्रों में **सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।**

विशेषाधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय	
	पी.वी. नरसिम्हा राव वाद: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधायिका के सदस्यों को उन सभी सिविल और **आपराधिक कार्यवाहियों** के मामले में प्रतिरक्षा के व्यापक संरक्षण की आवश्यकता है, जो उनके भाषण या वोट से संबंधित हैं।
	एम. एस. एम. शर्मा वाद: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब भी भाग V, अनुच्छेद 194(3) (विशेषाधिकार) के प्रावधान और भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

निष्कर्ष

कानून निर्माताओं को रक्षा प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि, संसद अपने सदस्यों द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग की निगरानी के लिए **विशिष्ट कानून बनाकर स्पष्ट सीमाएं स्थापित कर सकती है।**

संसदीय विशेषाधिकारों में सुधार की आवश्यकता क्यों?

- निरीक्षण का अभाव और **संहिताबद्ध विशेषाधिकारों** की अनुपस्थिति
- **प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध** {कानून निर्माताओं (राजनेताओं) को अपने ही मामलों का न्याय करने की अनुमति देता है}
- **संसद तथा विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग** (नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन)
- **विशेषाधिकार सांसदों को अभियोजन** से बचाते हैं (क्योंकि जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो दीवानी मामले शुरू नहीं किए जा सकते हैं)

3.2. संसदीय कार्य-प्रणाली (Parliamentary Functioning)

17वीं लोक सभा की कुल 274 बैठकें संपन्न हुई थीं। इसके विपरीत, 16 वीं लोक सभा की कुल 331 बैठकें संपन्न हुई थीं।

संसद की काम-काज करने संबंधी उत्पादकता में गिरावट के कारण

- शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय के कारण **सांसदों में असंतोष।**
- संविधान या सदनों के नियमों द्वारा **कामकाज करने का समय निर्धारित नहीं** किया गया है।
- **स्थायी समितियां** सदन में इन विषयों पर विचार-विमर्श नहीं करती हैं।
- विपक्ष के प्रति **सरकार का अनुत्तरदायी रवैया** तथा सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता एवं केंद्रीय मंत्रियों द्वारा असंवेदनशील व्यवहार करना।
- संसद के कामकाज में व्यवधान डालने **वाले सांसदों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के संबंध में** विधायिका के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।
- **राजनीतिक दलों द्वारा संसदीय मानदंडों का पालन नहीं करना** और न ही अपने सदस्यों को अनुशासन में रहने के लिए कहना।

संसद की उत्पादकता को सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **लोकतंत्र में केंद्रीय भूमिका:** यह सरकार के काम पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है
- **प्रस्तावित कानूनों की जांच करना**
- **संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना** {3D अर्थात् विचार-विमर्श (Debate), चर्चा (Discussion) और मंत्रणा (Deliberation)}

संसदीय उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है?

- **बैठकों की संख्या बढ़ाना** (सदन की बैठक के संबंध में NCRWC ने सिफारिश की है कि लोक सभा और राज्य सभा में बैठकों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 120 और 100 निर्धारित की जानी चाहिए)
- संसदीय समितियों को **संस्थागत रूप से तकनीकी विषयों के बारे में सहायता** प्रदान की जानी चाहिए।
- **समिति को विधेयक भेजना** और उत्तरदायी विपक्ष को प्रोत्साहित करना

3.3. अध्यक्ष का पद (Office of Speaker)

अध्यक्ष के कार्यों से जुड़े मुद्दे

- **दल-बदल विरोधी कानून के तहत भूमिका**

  नबाम रेबिया वाद (2016): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का नोटिस दिया गया है, तो उसे विधायकों / सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
- **धन विधेयक की घोषणा पर**

  (उदाहरण के लिए- आधार विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का लोक सभा अध्यक्ष का फैसला)
- **पूर्वाग्रह और पक्षपात के आरोप**

अध्यक्ष के पद में सुधार के लिए सुझाव	**दल-बदल विरोधी कानून में अध्यक्ष की भूमिका कम करना** {कीशम मेघचंद्र सिंह मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा तंत्र (जहां अयोग्यता संबंधी याचिकाएं अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं) को एक स्थायी अधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है}
	ब्रिटेन के मॉडल का पालन करना (ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, राजनीतिक दल निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव के दौरान अध्यक्ष का विरोध करने से बचते हैं)
	राजनीतिक पद पर प्रतिबंध

लोक सभा अध्यक्ष की तटस्थता सुनिश्चित करने वाले उपाय

- **कार्यकाल की सुरक्षा** और केवल लोक सभा के संकल्प द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।
- भारत की संचित निधि पर भारित **वेतन और भत्ते।**
- **अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देगा,** परंतु मत बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है।
- किसी ठोस संकल्प के अलावा सदन में लोक सभा **अध्यक्ष के कार्यों और आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती।**

3.4. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law: ADL)

दल-बदल कानून की आवश्यकता क्यों है?

- दलों के विलय के माध्यम से विधायिका में दलों के **लोकतांत्रिक पुनर्गठन की सुविधा के लिए।**
- अनियमित रूप से होने वाले चुनावों पर किए जाने वाले **गैर-विकासात्मक खर्च को रोकने के लिए।**
- राजनीतिक दल और उसकी नीतियों के प्रति **सदस्यों की निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए।**
- लोगों की इच्छा या मत का सम्मान करने के लिए।
- दल बदलने संबंधी सांसदों/ विधायकों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करके **अधिक राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के लिए।**

दसवीं अनुसूची से संबंधित न्यायिक निर्णय	**किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिलु और अन्य वाद (1992):** संविधान पीठ ने दलबदल-रोधी कानून की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि स्पीकर/ अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
	कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर वाद (2020): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलबदल-रोधी कानून के तहत निर्णय **तीन महीने के भीतर** किया जाना चाहिए।

दल-बदल विरोधी कानून में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों है?

- **पीठासीन अधिकारी को व्यापक शक्ति और** असहमति के लिए सीमित स्थान
- किसी सदस्य को सदन से निकालना उसकी अयोग्यता का आधार नहीं बन सकता।
- **राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं** (यह केवल विधि निर्माताओं को दल बदलने के लिए दंडित करता है)
- **विलय के प्रावधान से संबंधित समस्या**

आगे की राह

- दलबदल का गठन करने वाले **कार्यों को परिभाषित करना**
- **आचार समिति की सक्रिय भागीदारी**
- **दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग** ने सिफारिश की थी कि दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का मुद्दा निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिए।

3.5. प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)

प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय	**विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (विमुद्रीकरण संबंधी वाद), 2016: सुप्रीम कोर्ट** ने विमुद्रीकरण पर **केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखते हुए** प्रत्यायोजित विधान की वैधता को यथावत रखा।
	डी. एस. गरेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य वाद (1959): सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत के संविधान का **अनुच्छेद 312** प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों से संबंधित है।

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित मुद्दे

- प्रत्यायोजित विधान की **व्यापक जांच नहीं**
- **नियमों और विनियमों को अधिसूचित करने की संख्या बहुत अधिक है** (उदाहरण के लिए- कंपनी अधिनियम, 2013 को लागू करने के बाद से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने इस अधिनियम के तहत 56 नियमों को अधिसूचित किया है।
- **लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध**
- **कार्यपालिका द्वारा शासन करने की शक्तियों का दुरुपयोग** और कार्यों का अतिव्यापन

आगे की राह

- **सांसदों और समितियों के बीच समन्वय**
- किसी अधिनियम के निर्माण के प्रारंभ होने की तारीख से **छः महीनों तक नियमों का मसौदा तैयार नहीं होने पर देरी के कारणों** का समिति के सामने उल्लेख किया जाना चाहिए
- **अतिरिक्त कार्य समितियां:** अधीनस्थ विधान पर स्थायी समिति के तहत **अतिरिक्त कार्य समितियों** का गठन किया जाना चाहिए। इनमें संसद के तहत आने वाले सभी नियमों का व्यापक अध्ययन करने में मदद करने के लिए कानून और नीति-निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।

4. न्यायिक और अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकायों की संरचना एवं कार्यप्रणाली (STRUCTURE AND FUNCTIONING OF JUDICIARY AND OTHER QUASI-JUDICIAL BODIES)

4.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts)

देश के तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए। ये तीन नए कानून हैं- भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023

- इसे **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860** के स्थान पर लाया गया है। इसमें कई पुराने और अप्रासंगिक प्रावधान थे।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान**
  - इसमें छल-कपट/ धोखे से या झूठे वादे करके **किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध** माना गया है।
  - इस संहिता में **राजद्रोह** से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है।
  - **सामुदायिक सेवा** (छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है)
  - **आतंकवाद और संगठित अपराध को परिभाषित करना**
- **संभावित प्रभाव**
  - नई व्याख्याओं के कारण मौजूदा परीक्षणों में **संभावित देरी**
  - **पुलिस की विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि** से असंगत आवेदन के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं।
  - **व्यक्ति-निष्ठ व्याख्या (Subjective interpretation)**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को प्रतिस्थापित** किया गया है। CrPC में भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए **गिरफ्तारी (Arrest), अभियोजन (Prosecution) और जमानत (Bail) की प्रक्रिया** संबंधी प्रावधान किए गए थे।

भारतीय नागरिक **सुरक्षा संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान**

- **फॉरेंसिक जांच:** यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है, जिनके लिए कम-से-कम सात वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है।
- यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के **हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप** और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं।
- इसके तहत यदि **पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति** ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की **एक-तिहाई अवधि को हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रभाव

- **मामलों का शीघ्र निपटान**
- तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने से पुलिस जांच में निष्पक्षता संबंधी मुद्दों का समाधान हो सकता है।
- **पीड़ितों के अधिकारों में सुधार**
- यह विधेयक अपराधों की फॉरेंसिक जांच और **न्यायिक प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपकरणों** को शामिल करने हेतु प्रावधान करता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित** किया गया है। यह अधिनियम सभी दीवानी/ सिविल और फौजदारी/ दाण्डिक कार्यवाहियों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान

- इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज़ माना जाएगा**
- **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता**

संभावित प्रभाव

- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रयोग में वृद्धि होगी**
- इससे त्रुटिपूर्ण दोषसिद्धि के मामलों में कमी आ सकती है, **निजता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं**

4.2. जेल सुधार (Prison Reform)

जेल और उनमें बंद कैदी, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय हैं।

जेल प्रशासन के समक्ष चुनौतियां

- जमानत मिलने में कठिनाई
- **जेलों में क्षमता से अधिक कैदी** (जेलों की क्षमता की तुलना में बंद कैदियों की संख्या) 130.2 प्रतिशत है)
- **जेल कर्मचारियों की कमी** (लगभग 30 प्रतिशत)
- **जेल बजट** (जेल बजट का केवल **0.6 प्रतिशत ही कैदियों के व्यावसायिक/ शैक्षिक प्रशिक्षण पर** खर्च किया जाता है)
- **जेल में महिला कर्मचारियों की कम संख्या** (केवल 13.77%)

जेल सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **मॉडल जेल नियमावली, 2016:** इस नियमावली का उद्देश्य पूरे देश में जेलों के प्रशासन का मानकीकरण करना।
- **आदर्श जेल अधिनियम, 2023 ने जेल अधिनियम (1894)** की जगह ली है।
- **जेल आधुनिकीकरण योजना** के तहत जेलों में बुनियादी ढांचे और अन्य लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है।
- **ई-जेल परियोजना** ने जेल प्रबंधन में दक्षता को बढ़ाया है।

आगे की राह

गृह मामलों पर संसदीय समिति की सिफारिशें

- **केंद्रीय बजट 2023 में घोषित "गरीब कैदियों के लिए सहायता कार्यक्रम"** का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
- **जमानत पर छूटे कैदियों की निगरानी करने के लिए ट्रैक किए जा सकने वाले ब्रेसलेट जैसे उपकरणों की मदद ली जा सकती है।**
- राज्य सरकारें कैदियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन हेतु **जेल विकास कोष** का गठन कर सकती हैं।
- **औपनिवेशिक काल की जेलों की विरासत और स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए उनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। इनमें पर्यटन को प्रोत्साहित करके राजस्व अर्जित किया जा सकता है।**

मुल्ला समिति, 1980 की कुछ प्रमुख सिफारिशें

- **भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा** नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- **विचाराधीन कैदियों को जेलों में कम-से-कम समय तक रखा जाना चाहिए** और उन्हें दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए।
- **सजा समाप्त होने के बाद देखभाल (After-care), पुनर्वास और प्रोबेशन** जेल सेवाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

4.3. भारत में अधिकरण प्रणाली (Tribunal System in India)

भारत में अधिकरण प्रणाली

- **उद्देश्य:** इनका उद्देश्य **न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम** करना है। इसके अलावा, अधिकरणों में **तकनीकी विषयों से जुड़े विषय विशेषज्ञ** भी शामिल होते हैं।
- **अधिकरणों की संरचना: अधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ विशेषज्ञ सदस्य (यानी तकनीकी सदस्य) भी नियुक्त** किए जाते है।
- **भौगोलिक रूप से फैलाव:** देश भर में फैली शाखाएं पहुंच सुनिश्चित करती हैं।
- **अपील: चंद्र कुमार वाद (1997)** में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट की **खंडपीठ में अपील करने की अनुमति** प्रदान की थी।
- 1976 में, **42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 323A और 323B** को भारत के संविधान में जोड़ा गया था।

अधिकरणों के संबंध में चिंताएं

- **क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन (Overlapping):** अधिकरणों की स्थापना से नियमित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ है।
- **तकनीकी सदस्यों के संबंध में चिंताएं:** कुछ अधिकरणों में, **तकनीकी सदस्यों में कानूनी योग्यता का अभाव** होता है।
- पुनर्नियुक्ति जैसे प्रावधानों सहित अधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल कम अवधि का होता है, जो **न्यायपालिका पर कार्यपालिका के नियंत्रण** में वृद्धि करता है।
- **लंबित मामले**
- **स्वतंत्रता का अभाव**

आगे की राह

- अधिकरणों के प्रशासन के लिए **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC)** नामक एक स्वतंत्र निकाय के निर्माण करना
- मामलों को निपटाने में होने वाली देरी को रोकने और संचित कार्यभार को कम करने के लिए **अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति** प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है।
- न्यायिक प्रभाव आकलन

4.4. न्यायिक नियुक्तियां (Judicial Appointments)

न्यायिक नियुक्तियां

- **संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217**
- **न्यायिक घोषणा:** न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए **कॉलेजियम प्रणाली श्री जजेज केस के साथ विकसित हुई है।** इन मामलों में 1981 से लेकर 1998 तक सुनवाई हुई थी।

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति/कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित समस्याएं

- **न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति:** यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच **'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत'** तथा एक अंग द्वारा दूसरे अंग पर **'नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत'** के खिलाफ है।
- विशेषज्ञों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही, न्यायाधीशों की पृष्ठभूमि की भी जांच की जानी चाहिए।
- **प्रदर्शन आधारित पदोन्नति।**
- **पारदर्शिता का अभाव**

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

- **सार्वजनिक प्रकटीकरण**
- **समावेशी चयन प्रक्रिया**
- **खोज-सह-मूल्यांकन समिति (SEC)** का गठन करना
- **वस्तुनिष्ठ पात्रता मानदंड**

4.5. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service: AIJS)

AIJS **न्यायपालिका में सुधार** की एक पहल है। इसका उद्देश्य **सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना है।**

AIJS की आवश्यकता क्यों है?

- लंबित मामलों में कमी करने के लिए
- **न्यायिक रिक्तियों का समाधान**
- **योग्य कानूनी प्रतिभा** (विधि आयोग ने अपनी 116वीं रिपोर्ट)
- **सामाजिक समावेशिता**
- **AIJS से न्यायपालिका की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा।**

AIJS गठित करने से जुड़े मुद्दे

- **संरचनात्मक मुद्दे:** उदाहरण के लिए- राज्यों में अवसंरचना और वेतन व पारिश्रमिक में भिन्नता संबंधी मुद्दे विद्यमान हैं।
- **करियर में अनिश्चितता**
- **स्थानीय भाषा संबंधी बाधा**
- प्राय: कुछ मामलों में **राज्य सरकारों और हाई कोर्ट्स के बीच मतभेद** देखा जाता है।

AIJS को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आगे की राह

- **हितधारकों से परामर्श**
- **स्थानीय भाषा संबंधी मुद्दे:** भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा शामिल करनी चाहिए।
- दक्षतापूर्ण प्रणाली संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी-तंत्र स्थापित करना और व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए चुनिंदा राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है।

4.6. सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें (Regional Benches of Supreme Court)

सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की आवश्यकता क्यों है?

- न्याय तक पहुंच
- भौगोलिक भेदभाव को कम करने के लिए
- आम आदमी के लिए मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकती हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों के स्थायी रूप से गठन से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात बेहतर होगा।
- सुप्रीम कोर्ट की पीठ से जुड़ा संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 130)

क्षेत्रीय पीठों के गठन में चुनौतियां

- **सुप्रीम कोर्ट की ओर से विरोध**
- **सुप्रीम कोर्ट का एकात्मक चरित्र प्रभावित होगा**
- क्षेत्रीय पीठों के कारण परस्पर विरोधी मिसालें बढ़ सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप **मुकदमेबाजी में वृद्धि** हो सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट की पोज़िशन घट सकती है
- किसी मामले को संवैधानिक महत्त्व के रूप में पहचानना और वर्गीकृत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

आगे की राह

- **विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट (1984):** सुप्रीम कोर्ट में दो विभाग (Division) होने चाहिए, अर्थात् संवैधानिक विभाग (Constitutional Division) और कानूनी विभाग (Legal Division)।
- **विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट (2009):** दिल्ली में एक संविधान पीठ और चार कैसेशन पीठें स्थापित करने का सुझाव दिया।
- **हाइब्रिड/ वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना**
- **फ्रांस एक ऐसी प्रणाली लागू करता है, जिसमें अपील की एक अलग अदालत** और कैसेशन (Cassation) की एक अलग अदालत शामिल हैं।
- **न्यायपालिका की दक्षता में सुधार** के लिए न्यायिक कर्मचारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।

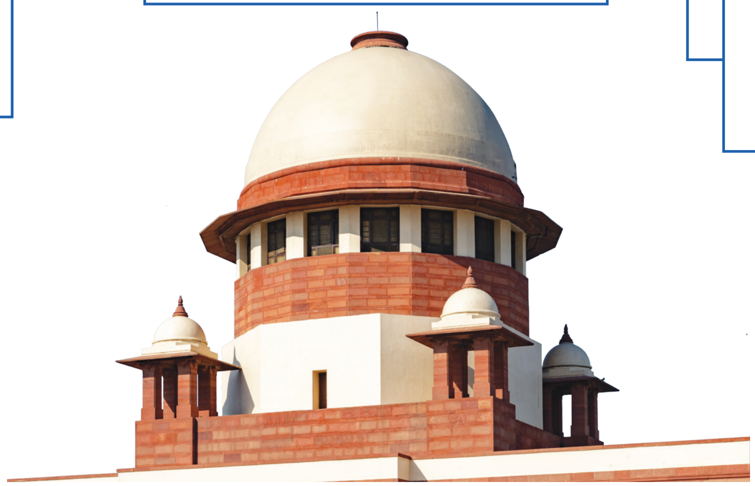

4.7. न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)

न्यायिक जवाबदेही को संवैधानिक या कानूनी मानकों के विपरीत व्यवहार और निर्णयों के लिए न्यायाधीशों तथा न्यायालयों को व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से तंत्र के सेट के रूप में परिभाषित किया गया है।

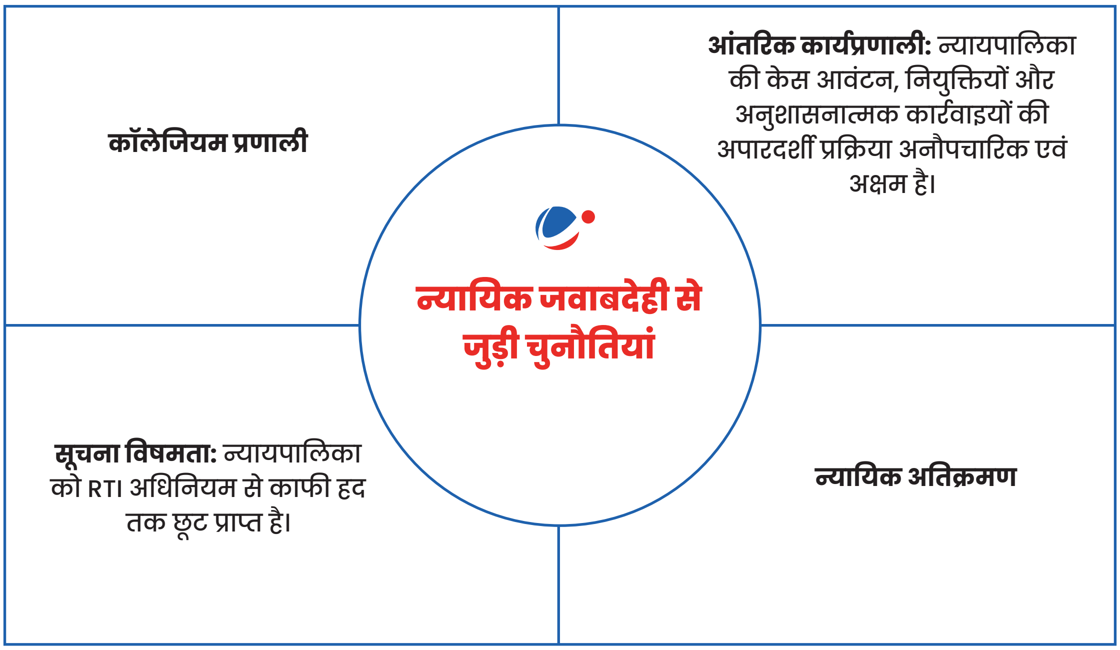

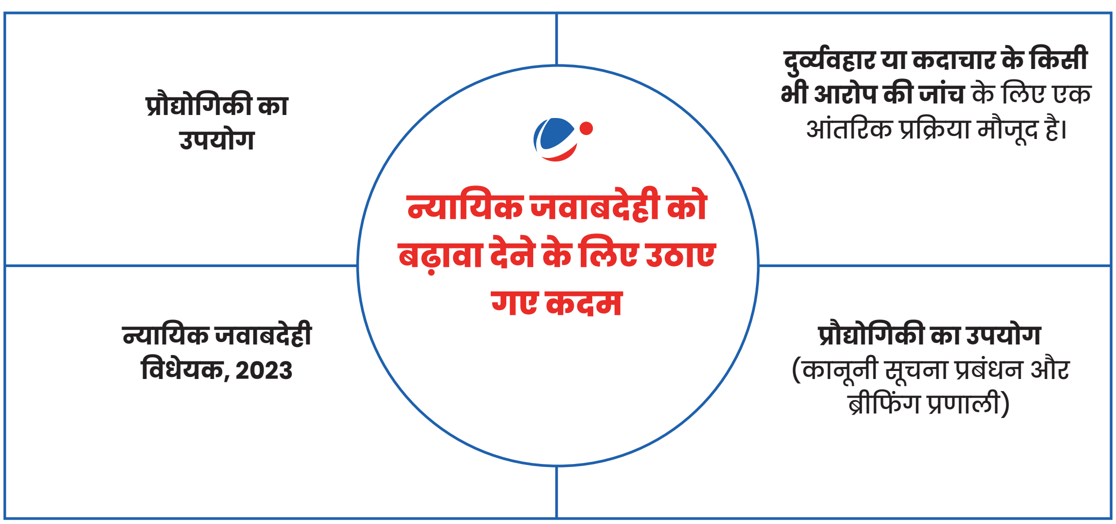

निष्कर्ष

न्यायाधीशों के लिए एक अधिक औपचारिक और व्यापक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए। साथ ही, इसे कानून द्वारा लागू भी किया जाना चाहिए।

4.8. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023)

प्रमुख बिंदु

- **मध्यस्थता,** तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के **सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने** का प्रयास करते हैं।
- **मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता**
- **मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद: नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों, दांडिक (क्रिमिनल) अपराध** के अभियोजन से जुड़े विवाद
- मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही **बाध्यकारी और प्रवर्तनीय** होंगे।
- **भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI) की स्थापना:** यह परिषद मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए विनियम बनाएगी।
- इसे **120 दिनों** के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

मध्यस्थता अधिनियम की आवश्यकता क्यों?

- यह **मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- न्यायालयों की तुलना में लोग कम समय में अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं।
- **मध्यस्थता की लागत में कमी करना**
- **न्यायालय के बोझ में कमी लाना**
- **समर्पित अधिनियम**
- **सौहार्दपूर्ण समाधान**

अधिनियम से संबंधित चिंताएं

- **यह गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में कोई दंड/दायित्व निर्धारित नहीं करता है।**
- **ऑनलाइन मध्यस्थता:** नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के केवल 55% लोगों को इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त है
- यह भारत के बाहर आयोजित **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता** के परिणामस्वरूप होने वाले निपटान समझौतों को लागू करने का **प्रावधान नहीं करता** है।
- मध्यस्थता परिषद को अपने आवश्यक कार्यों से संबंधित नियम जारी करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इससे **हितों के टकराव** में वृद्धि होगी।

आगे की राह

- **सरकार से संबंधित विवादों को शामिल करना**
- **गोपनीयता संबंधी समझौता**
- **मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता के माध्यम से ही अधिकतम विवादों का निपटान** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4.9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) (National Legal Services Authority: NALSA)

नालसा/ NALSA

- नालसा, पूरे भारत में कानूनी सहायता संबंधी गतिविधियों की निगरानी करता है।
- यह सुनिश्चित करना है कि देश में वंचितों को मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध हों।
- इसके तहत मिलने वाली कानूनी सहायता न्यायालयों, अधिकरणों और न्यायिक शक्तियों वाले अन्य निकायों में मान्य होती है।
- केंद्र सरकार नालसा को वार्षिक रूप से वित्त-पोषण आवंटित करती है।

नालसा से संबंधित मुद्दे

- **जागरूकता की कमी:** 1995 से केवल 15 मिलियन लोगों ने ही कानूनी सहायता का उपयोग किया है, जबकि देश की संपूर्ण आबादी के 80 प्रतिशत से भी अधिक लोग कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं।
- **बजटीय बाधाएं:** 2017-18 के लिए भारत का कानूनी सहायता खर्च प्रति व्यक्ति 0.75 पैसे सालाना था।
- **वकीलों और मुआवजे की भूमिका:** शुल्क की सीमा (Fee Caps) होने के कारण वकील नि:शुल्क पैरवी करने से बचते हैं।
- **कर्मचारियों की कमी:** दिसंबर, 2022 तक, नालसा अपने स्वीकृत 34 पदों में से केवल 20 स्टाफ सदस्यों के साथ काम कर रहा था।
- **पैरा-लीगल वालंटियर्स (PLVs) का कम उपयोग**

सिफारिशें

- नालसा को **कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों की सहायता करने को प्राथमिकता** देनी चाहिए। साथ ही, लंबे समय तक हिरासत में रखने में आने वाली चुनौतियों के मामलों का अध्ययन करना चाहिए।
- न्याय संबंधी अंतर को पाटने के लिए NALSA को **सहायता अनुदान में पर्याप्त वृद्धि** की जानी चाहिए।
- न्यायिक करियर में उन्नति के लिए **वकीलों के नि:शुल्क योगदान को मान्यता देने हेतु योग्यता प्रमाण-पत्र दिए जाने चाहिए।**
- लोक अदालतों को **पर्याप्त शक्तियों व संसाधनों** के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए।
- **PLVs को व्यापक रूप से प्रशिक्षित करना** और उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए तथा रिक्तियों को शीघ्र भरना चाहिए

5. भारत में चुनाव (ELECTIONS IN INDIA)

5.1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023)

राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है।

अधिनियम के बारे में

इस अधिनियम ने **निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कार्यों का संचालन) अधिनियम, 1991** की जगह ली है।

उद्देश्य: यह अधिनियम निम्नलिखित को विनियमित करेगा:

- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि; तथा
- चुनाव आयोग के कार्यों के संचालन की प्रक्रिया।

प्रमुख प्रावधान

चयन समिति:

- अध्यक्ष: प्रधान मंत्री,
- सदस्य: प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोक सभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।

CEC और अन्य ECs के लिए पात्रता मानदंड: ऐसा व्यक्ति, जो भारत सरकार के **सचिव के पद के समकक्ष रैंक पर है या ऐसे पद पर रह चुका है**

CEC और अन्य ECs को **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान** वेतन दिया जाएगा।

पदावधि: CEC और अन्य ECs पद ग्रहण करने की तिथि से **छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक,** जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

CEC को हटाने की प्रक्रिया **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने** की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसके अलावा, **CEC की सिफारिश के बिना अन्य ECs को पद से नहीं हटाया** जा सकता।

खोज समिति: यह समिति CEC और अन्य ECs के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु **पांच व्यक्तियों** के नामों की एक सूची तैयार करेगी।

अधिनियम से जुड़ी चिंताएं

- वर्तमान में चयन समिति में **अधिकांश सदस्य तत्कालीन सरकार के होते हैं।**
- **चयन समिति में रिक्त पद:** लोक सभा भंग होने पर लोक सभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त हो सकता है।
- चयन समिति, **खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों पर विचार किए बिना CEC/ ECs के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।**
- 1991 के अधिनियम के समान ही इस अधिनियम में भी **सेवानिवृत्ति के बाद** किसी भी सरकारी पद या कार्यालय में CEC और ECs की नियुक्ति के संबंध में **कोई प्रावधान नहीं किया गया है।**
- **CEC और अन्य ECs को पद से हटाने में असमानता**

आगे की राह

- चुनाव सुधार पर **गोस्वामी समिति (1990) और 255 वें विधि आयोग** की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि चयन समिति में **भारत का मुख्य न्यायाधीश** शामिल होने चाहिए।
- **सेवानिवृत्ति के बाद** सरकार के तहत किसी भी अन्य पद के लिए **पात्र नहीं होना चाहिए।**
- गोस्वामी समिति और निर्वाचन आयोग ने आयोग के काम-काज के लिए एक **अलग सचिवालय के गठन** की भी सिफारिश की है।

5.2. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)

भारत में एक साथ चुनाव का आशय **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ** संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी **विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान** कर सकेंगे।

एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता क्यों है?

- **चुनावी खर्च में कमी होगी**
- चुनाव आचार संहिता के बार-बार लागू होने से चुनाव वाले क्षेत्रों/ राज्य में विकास कार्य रुक जाते हैं।
- **प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी**
- **मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी**

एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे/ समस्याएं

- एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने संबंधी **कानूनी चुनौतियां**
- **EVMs व VVPATs सहित लॉजिस्टिक्स और श्रमबल से संबंधित मुद्दे**
- राज्यों के चुनावों में बदलाव करने से **राज्यों के अधिकारों का हनन होगा**
- **त्रिशंकु संसद/ विधान सभा एवं समय से पहले विघटन संबंधी मुद्दे**

आगे की राह

इस चुनौती से निपटने के लिए दो चरणों वाली व्यवस्था को अपनाना

- पहले चरण में **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ** कराने पर विचार किया जाना चाहिए।
- दूसरे चरण में **नगर-पालिका और पंचायत चुनाव भी लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के चुनावों के सौ दिनों के भीतर** कराने पर विचार किया जा सकता है।

लोक सभा में त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव जैसी **स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव** कराए जाने चाहिए। हालांकि, ये चुनाव केवल भंग लोक सभा के **शेष कार्यकाल के लिए** ही होने चाहिए।

निर्वाचन आयोग **उपकरणों की खरीद के लिए पहले से अनुमान** लगा सकता है, जैसे- **EVMs एवं VVPATs**, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती, अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करना, आदि।

5.3. चुनावी फंडिंग (Electoral Funding)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** वाद में निर्णय देते हुए चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर इसे **असंवैधानिक** करार दिया है। चुनाव के लिए चंदे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना शुरू की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्णय

- चुनावी बॉण्ड योजना में यह पता नहीं चल पाता है कि **किसने किस दल को दान** दिया है। अतः चुनावी बॉण्ड्स **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन** करते हैं। इस प्रकार, यह योजना **असंवैधानिक** है।
- राजनीतिक दलों को **असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग देने की अनुमति** देने के लिए **कंपनी अधिनियम में किया गया संशोधन** मनमाना है और यह संविधान के **अनुच्छेद 14 का उल्लंघन** है।
- **काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना आनुपातिक रूप से (Proportionally) उचित नहीं है।**

चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताएं

- **नकद लेन-देन में वृद्धि**
- **छोटे राजनीतिक दलों** और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनावों में भागीदारी को रोकता है
- **कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़ बढ़ रहा है।**
- **अत्यधिक चुनावी खर्च** (2024 के लोक सभा चुनाव में **करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये खर्च** किए गए थे)

5.4. राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र (Internal Party Democracy)

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र से दल की संरचना के भीतर निर्णय लेने और विचार-विमर्श में दल के सदस्यों को शामिल करने के स्तर एवं तरीके का बोध होता है।

- सरकार द्वारा गठित कई समितियों ने देश में राजनीतिक दलों के पारदर्शी तरीके से कार्य करने का प्रबल समर्थन किया है। इन समितियों में **दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति** शामिल हैं।
- **राजनीतिक दल (पंजीकरण और कार्यप्रणाली का विनियमन) विधेयक, 2011 का प्रारूप** केंद्रीय कानून मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
  - इस विधेयक का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के **संविधान, कामकाज, वित्त पोषण, खातों और लेखा परीक्षा तथा अन्य मामलों** को विनियमित करना था।

भारत में दलों के भीतर लोकतंत्र का महत्त्व

- राजनीति के **अपराधीकरण पर रोक लगता है**
- सत्ता में भागीदारी और निर्णयन प्रक्रिया के **विकेंद्रीकरण को सुगम बनाने** में सहायता मिलती है
- पार्टी फंड का प्रबंधन करने में **पारदर्शिता** और जवाबदेही को **बढ़ावा मिलता है**
- **भाई-भतीजावाद** और वंशवाद की राजनीति पर रोक
- राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने के लिए **समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है**

दल के भीतर लोकतंत्र स्थापित करने से संबंधित चुनौतियां

- **दलीय नेतृत्व में अभिजात्यवाद**
- **परिवारवादी, जातिवाद और धर्म आधारित दलों द्वारा विरोध**
- **दल-बदल विरोधी कानून सांसदों/ विधायकों को पार्टी व्हिप के आदेशों से बांधता है।** यह सदन के भीतर किसी मुद्दे पर व्यक्तिगत स्तर पर मतदान को हतोत्साहित करता है।
- राजनीतिक दलों के भीतर चुनाव को अनिवार्य बनाने का **कोई कानूनी आधार** मौजूद नहीं है।
- **चुनाव आयोग के पास अपर्याप्त शक्ति**

आगे की राह

- राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। **उदाहरण के लिए:** जर्मनी
- कानून द्वारा दलों के भीतर सभी स्तरों पर **नियमित आंतरिक चुनाव अनिवार्य किए जाने चाहिए तथा** दल पदाधिकारियों के लिए कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए।
- **नेतृत्व संबंधी पदों के लिए आंतरिक चुनाव समिति** के माध्यम से कराये जाने चाहिए।
- **राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए राज्य/ सरकार द्वारा फंड देना।**
- भारत के चुनाव आयोग को सशक्त बनाना ताकि **नियमों का पालन न करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।**

5.5. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)

राजनीति का अपराधीकरण के बारे में

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट, **'शासन में नैतिकता'** में "चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी" को राजनीति का अपराधीकरण कहा है।

राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद (2002):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में जानने का **मूल अधिकार** प्राप्त है।
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद (2013):** सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की धारा 8(4):** इसके तहत किसी मामले में दोषी ठहराया गए सांसद/ विधायक को अपनी दोषसिद्धि के निर्णय के खिलाफ की गई अपील का निपटान होने तक पद पर बने रहने की अनुमति मिली हुई थी।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद (2018):** सुप्रीम कोर्ट ने **राजनीतिक दलों** को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड्स को **अपनी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स और समाचार-पत्रों** में प्रकाशित करने का आदेश दिया था।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- **उम्मीदवारों की जीत की संभावना** (एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार अन्य उम्मीदवारों की तुलना में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के जीतने की संभावना दोगुनी होती है)
- **आपराधिक मामलों में दोष-सिद्ध होने में देरी**
- **कानून में कमियां:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है।
- **चुनाव आयोग की सीमित शक्तियां**

राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव

- **राजनीतिक दलों का अपराधीकरण**
- **जांच और अभियोजन एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव**
- **भ्रष्टाचार का संस्थागत होना एवं विश्वास में कमी आना**
- **दोषसिद्धि दर में गिरावट** (देश भर में कानून-निर्माताओं के खिलाफ 5,097 मामले लंबित हैं)

राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए किए गए उपाय

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3)** के अनुसार, कोई भी कानून-निर्माता (विधायक/ सांसद) जिसे **कम-से-कम दो वर्ष के कारावास की सजा** सुनाई गई हो तो वह **दोषी ठहराए** जाने की तिथि से **सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य** माना जाएगा। साथ ही, ऐसे व्यक्ति को **सजा पूरी होने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित** कर दिया जाएगा।
- **वेब पोर्टल:** इसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है। इस पोर्टल पर राजनीतिक दल अपने **वित्तीय विवरण ऑनलाइन दर्ज** करा सकते हैं।

आगे की राह

- **दोषियों के चुनाव पर आजीवन प्रतिबंध**
- **हाइब्रिड निर्वाचन प्रणाली:** चुनावों का आयोजन **75% फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) सिस्टम तथा 25% आनुपातिक प्रणाली** के माध्यम से किए जाने की सलाह दी गई थी।
- **झूठा हलफनामा दाखिल करने पर दंड**
- **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र**

5.6. आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct: MCC)

आदर्श आचार संहिता (MCC)

- **उत्पत्ति:** इसकी शुरुआत सबसे पहले **1960 में केरल के राज्य विधान सभा चुनावों** में की गई थी।
- **MCC से जुड़े संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 324** (संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनावों की निगरानी करने की चुनाव आयोग की शक्ति)।
- **MCC किन पर लागू होती है:** यह सभी राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों एवं पोलिंग एजेंट्स, सत्तारूढ़ सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।
- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति सहित कई विशेषज्ञों ने **आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने** का सुझाव दिया है।

आदर्श आचार संहिता (MCC) के लागू होने से जुड़े मुद्दे

- **कम समय तक लागू होना**
- इस संहिता का कोई **कानूनी आधार नहीं** है। साथ ही, इनका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों की भी कमी है।
- **सरकारी नीतियों की घोषणा पर रोक लग जाना**
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, ट्विटर, आदि) पर MCC के उल्लंघनों को विनियमित करने और जांच करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों का अभाव है।**

विरोध करने के कारण

- इसे वैधानिक दर्जा देने से सर्वसम्मति यानी आम सहमति की भावना प्रभावित होगी।
- **समय की पाबंदी:** न्यायिक कार्यवाही में आमतौर पर अधिक समय लगता है।
- **आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद होना:** पहले से मौजूद अलग-अलग कानूनों के तहत लागू किया जा सकता है।

आगे की राह

- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में **दंड देने की चरणबद्ध व्यवस्था** अपनाई जानी चाहिए।
- आदर्श आचार संहिता में उन राजनीतिक दलों के मामले में 'चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश' के तहत **दंड, जुर्माना या कार्रवाई के प्रावधान** शामिल होने चाहिए
- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 72 घंटों के भीतर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- **समय-समय पर समीक्षा**

5.7. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनाव (Artificial Intelligence and Elections)

चुनावों में AI की भूमिका

- पूर्वानुमान करने वाला मॉडल बनाना
- डेटा का रियल-टाइम आधार पर विश्लेषण
- पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन
- सहभागी लोकतंत्र

चुनावों में AI से जुड़ी चिंताएं

- **हेरफेर:** AI का उपयोग डीप-फेक वीडियो बनाने, गलत सूचना प्रसारित करने तथा सत्य को विकृत करने के लिए भी किया जा सकता है।
- **विनियमन का अभाव**
- **सटीकता और डेटा की गुणवत्ता**
- **साइबर सुरक्षा संबंधी कमियां (कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा AI का उपयोग)**

आगे की राह

- **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को सशक्त बनाना:** राजनीतिक अभियानों में AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए
- **डीप-फेक का पता लगाने में नवाचार को बढ़ावा देना**
- **अनुकूलित प्रतिक्रिया:** चुनावों में AI से संबंधित उभरते खतरों और चुनौतियों की निरंतर निगरानी करनी चाहिए और उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- **स्पष्ट विनियामकीय फ्रेमवर्क** लागू करना (उदाहरण के लिए- **दुष्प्रचार पर यूरोपीय संघ की आचार संहिता, 2022)**

5.8. मास मीडिया और चुनाव (Mass Media and Election)

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।

चुनावी प्रक्रिया में मास मीडिया की भूमिका

- **चुनाव के महत्त्व** पर जोर देता है
- **चुनावी अभियान** से जुड़ी सूचनाओं का प्रसार
- उम्मीदवारों की सार्वजनिक छवि को आकार देना
- मास मीडिया नीतिगत कमियों को उजागर करता है और राजनेताओं को जनता की अपेक्षाओं से अवगत कराता है।
- **मतदाता व्यवहार** को प्रभावित करना

चुनाव प्रक्रिया के समक्ष मास मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियां

- देश की **संप्रभुता के लिए खतरा**
- दुष्प्रचार और कंटेंट के साथ हेरफेर
- **ऑनलाइन इको चेंबर का गठन**
- **आदर्श आचार संहिता से समझौता**
- **निजता संबंधी चिंताएं और मतदाता की वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) राय के लिए खतरा**

आगे की राह

- **प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सलाह का पालन करना:** चुनाव और उम्मीदवारों के बारे में सटीक (वस्तुनिष्ठ) रिपोर्ट देने के लिए भारत के चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आदि के सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- **आम चुनाव के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करना**
- **सिविल सोसाइटी समूहों और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के बीच संबंधों को मजबूत करना**
- **डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत करना**

5.9. नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections)

निष्पक्ष और समय पर नगरपालिका चुनावों की आवश्यकता क्यों?

- **'फर्स्ट-माइल' कनेक्ट:** भारत के 4,700 से अधिक शहरों में 87,000 से अधिक पार्षद हैं
- **जमीनी स्तर की** समस्याओं **का समाधान करना**
- **फंड/ वित्त-पोषण का कुशल उपयोग**

नगरपालिका चुनाव संबंधी चुनौतियां

- **समय से चुनाव नहीं होना: सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)** मामले में सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश
- **परिषद के गठन में देरी**
- **परिसीमन और आरक्षण**
- **मेयर के कार्यकाल में अनियमितता**
- **राज्य निर्वाचन आयोग के पास शक्ति का अभाव:** सीमाओं के परिसीमन को पूरा करने के लिए आरक्षण को अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकारों पर निर्भर हैं।
- **नगरपालिका चुनावों में मतदान** प्रतिशत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों की तुलना में **लगातार कम हो रहा है।**

आगे की राह

- **परिसीमन की शक्ति:** प्रत्येक राज्य में वार्ड परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया के संचालन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग या एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग के पास होनी चाहिए।
- सरकार के सभी तीन स्तरों हेतु **एक ही मतदाता सूची** तैयार करनी चाहिए।
- **राज्य निर्वाचन आयोगों को सशक्त बनाना:** राज्य निर्वाचन आयोगों को मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव में शामिल करके सशक्त बनाना

6. शासन व्यवस्था (GOVERNANCE)

6.1. शासन में सिविल सेवकों की भूमिका (ROLE OF CIVIL SERVANTS IN GOVERNANCE)

सिविल सेवकों की भूमिका

- **नीति निर्माण में सहायक**
- **सरकार और लोगों के बीच मध्यवर्तियों** के रूप में कार्य करते हैं।
- लोकतंत्र को मजबूत करना (उदाहरण के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव)
- **समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देना** (उदाहरण के लिए, ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए 'स्वेक्रुति' योजना)
- **करियर डिप्लोमैट्स और अर्ध-न्यायिक भूमिका के रूप में** में कार्य करते हैं।

चुनौतियां

- राजनीतिक दबाव के कारण **स्वायत्तता के मुद्दे**
- **पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी**
- **लालफीताशाही** और निर्णय प्रक्रिया की धीमी गति
- **सुरक्षा से संबंधित** धमकियां (उदाहरण के लिए, आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे को धमकियां)

निष्कर्ष

एक सिविल सेवक द्वारा पारदर्शिता, दक्षता और सत्यनिष्ठा की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम हमारे देश को सुशासन के लक्ष्यों के करीब लाता है। हालांकि, 21वीं सदी में नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सिविल सेवाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता है।

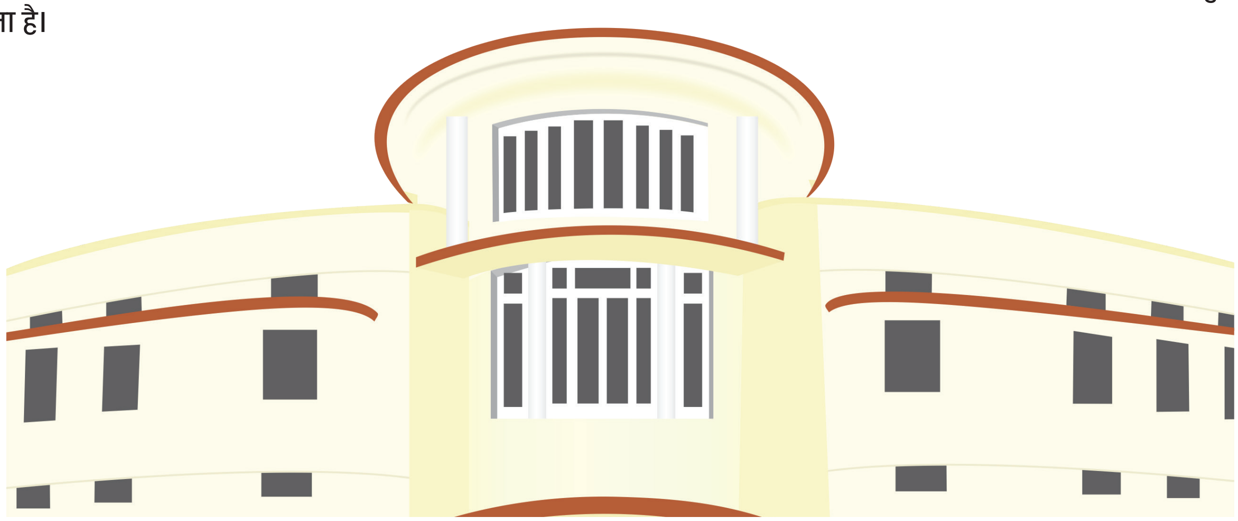

6.2. प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना (REVAMPED SCHEME FOR ADMINISTRATIVE REFORMS)

योजना के बारे में

- यह योजना **15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के अंतिम दो वित्त वर्षों (2024-25 और 2025-26) में लागू** की जाएगी।
- यह योजना **अगली पीढ़ी के महत्वाकांक्षी प्रशासनिक सुधारों** को 'विकसित भारत' की नई आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाएगी।

योजना का महत्त्व

- **पारदर्शिता और जवाबदेही** को बढ़ावा देना।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाना।**
- **निर्बाध सेवा वितरण की सुविधा देना।**
- नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- राज्यों के पोर्टल्स और केंद्र सरकार के अन्य पोर्टल्स को एकीकृत किया गया है।
- **नवाचार को प्रोत्साहित करना।**

संबंधित समस्याएं

- **एकरूपता का अभाव**
- **संघीय व्यवस्था को ठेस**
- **जटिलता और नौकरशाही बाधाएं**
- **संसाधनों की कमी**

आगे की राह

- **सिविल सेवकों में व्यवहारगत परिवर्तन**
- **समावेशी शिकायत निवारण को बढ़ाना**
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें: लोक शिकायत अधिकारी** की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर अधिकारी **समय सीमा का पालन नहीं** करता है, तो उस पर **आर्थिक दंड** लगाया जाना चाहिए।

6.3. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta)

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

- इसका उद्देश्य लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है।
- लोकपाल में **एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य** होते हैं।
- **लोकपाल के दायरे में प्रधान मंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप A, B, C और D के अधिकारी** तथा केंद्र सरकार के अधिकारी **शामिल।**
- **लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों**, सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर होगा।

लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से जुड़े कुछ अपवाद

- **यदि प्रधान मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष** से संबंधित है, तो लोकपाल इसकी जांच नहीं कर सकता है।
- **न्यायपालिका और सशस्त्र बल**

आवश्यकता

- CVC आदि निकायों के पास प्रभावी शक्ति नहीं है।
- वर्तमान में स्वतंत्र भ्रष्टाचार निवारक एजेंसियों का अभाव है।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए मौजूदा तंत्र अपर्याप्त है।
- पारदर्शिता और आंतरिक जवाबदेही की कमी है।

लोकपाल और लोकायुक्त से जुड़े मुद्दे

- **राजनीतिक प्रभाव**
- **शिकायत पर निष्क्रियता:** लोकपाल ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 68% शिकायतों का निपटारा बिना किसी कार्रवाई के ही कर दिया।
- **नियुक्तियों में देरी होना**
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:** बजटीय आवंटन में कटौती करना
- **सीमित शक्तियां:** अपराध की तारीख से **7 साल की अवधि के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है।**

आगे की राह

- लोकपाल और लोकायुक्त को उन पदाधिकारियों से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए जिनकी वे जांच करते हैं और मुकदमा चलाते हैं।
- **विकेन्द्रीकृत संस्थान:** उचित जवाबदेही तंत्र के साथ एक से अधिक **विकेन्द्रीकृत संस्थानों की आवश्यकता** है।
- **राज्य स्तरीय लोकायुक्त: 'लोकपाल' की तर्ज पर राज्यों में 'लोकायुक्त' की स्थापना की जानी चाहिए।**

6.4 सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका (ROLE OF TECHNOLOGY IN PUBLIC SERVICES DELIVERY)

सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी का महत्त्व	इससे **नागरिकों के समय और धन, दोनों की बचत होती है: उदाहरण: ई-हस्ताक्षर सेवा** ई-हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है।
	सरकारी विभागों की दक्षता बढ़ जाती है: उदाहरण: वाहनों के डेटा के लिए **'वाहन (VAHAN) प्लेटफॉर्म'।**
	फर्जी लाभार्थियों तथा लीकेज की संभावना को काफी हद तक समाप्त कर देता है: **उदाहरण: आधार कार्ड को मनरेगा के जॉब कार्ड से जोड़ना।**
	जवाबदेही बढ़ती है तथा भ्रष्टाचार कम होता है।
	अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त डेटा को आपस में जोड़कर बेहतर लोक नीतियों का निर्माण किया जा सकता है: **उदाहरण: पैन कार्ड तथा आधार कार्ड को आपस में लिंक करना।**

सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संबंधित चुनौतियां

- **डिजिटल डिवाइड (38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं)**
- **कुशल कार्यबल की भी कमी है** (उदाहरण के लिए- ओडिशा की जिला न्यायपालिका में कर्मचारियों की कमी)
- **साइबर सुरक्षा के समक्ष खतरा**
- **पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना का अभाव** (केवल 48.6% जिला न्यायालय परिसरों में ई-फाइलिंग सुविधा चालू अवस्था में है)
- **अधिकतर सेवाओं में आपसी जुड़ाव (Interoperability) का अभाव है**

आगे की राह

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, देश में डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिए **कानूनी ढांचे** का निर्माण करना चाहिए, **साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत** करना चाहिए **तथा सेवाओं के आपसी जुड़ाव में वृद्धि** करनी चाहिए।

6.5 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)

DPDP अधिनियम, 2023 के बारे में

DPDP अधिनियम का मुख्य उद्देश्य **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना** है। इसमें व्यक्तियों के **व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार** को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है और **केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही डेटा की प्रोसेसिंग** की जाएगी।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **किस पर लागू होगा (Applicability):** इसके प्रावधान **भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की 'प्रोसेसिंग' पर लागू होंगे।** इसके प्रावधान **भारत के बाहर** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे, यदि उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके **भारत में वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराना** है।
- **सहमति (Consent):** डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को **प्रोसेस्ड किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए।** हालांकि, डेटा प्रिंसिपल को **किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है।**
- ऐसे मामले जिनमें सरकार की ओर से कोई सेवा प्रदान की जा रही हो, या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो **"वैध उपयोग" के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।**
- **केंद्र सरकार द्वारा भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड** (DPBI) के गठन का प्रावधान किया गया है। **बोर्ड के प्रमुख कार्य हैं:**
  - **नियमों के अनुपालन की निगरानी करना** और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना।
  - **प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना।**
- **डेटा फिड्यूशरी के दायित्व:**
  - डेटा की **सटीकता** और पूर्णता **सुनिश्चित** करना,
  - डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए **उचित सुरक्षात्मक उपाय करना,**
  - **उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना।**

DPDP अधिनियम का महत्त्व

अनुसंधान उद्देश्य: वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए छूट प्रदान की गई।

उन्नत डेटा सुरक्षा: स्वास्थ्य सेवा उद्योग हेतु, यह संवेदनशील रोगियों की जानकारी को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।

वैश्विक नियमों के अनुरूप: अधिनियम विश्वव्यापी डेटा सुरक्षा नियमों के अनुरूप है।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस: यह व्यवसायों के लिए व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल करने के बारे में स्पष्ट नियम प्रस्तुत करता है।

अधिनियम की सीमाएं

- निगरानी के जरिए मौलिक अधिकारों का संभावित उल्लंघन।
- जटिल शिकायत निवारण प्रक्रिया।
- बालकों के कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
- 'डेटा पोर्टेबिलिटी के अधिकार' और 'भूल जाने के अधिकार' का नहीं देना।
- अन्य देशों में मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों की कमी के कारण भेद्यता।

आगे की राह

डेटा के सीमा-पार हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए, **डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार** और भुला दिए जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता जैसे शब्दों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर या डेटा प्रिंसिपल द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद **डेटा को हटाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा** तय की जानी चाहिए।

6.6. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Cinematograph (Amendment) Bill, 2023}

अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रावधान** करता है। इस अधिनियम को **सिनेमैटोग्राफ फिल्मों को प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने और सिनेमैटोग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शनों को विनियमित** करने के संबंध में प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था।

संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- यह अधिनियम **'UA' श्रेणी के तहत तीन आयु-आधारित प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण-पत्र 'UA 7+', 'UA 13+' और 'UA 16+' हैं।
- 'A' या 'S' **प्रमाण-पत्र** वाली फिल्मों के लिए **एक अलग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।**
- **ये प्रमाण-पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे।**
- यह अधिनियम **भारत संघ बनाम के. एम. शंकरप्पा वाद, 2000 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप अधिनियम की धारा 6(1) को निरस्त करता है।**
- यह अधिनियम नियमों के **उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई** का प्रावधान करता है।

निष्कर्ष

- यह अधिनियम फिल्म उद्योग के समक्ष आने वाली मौजूदा समस्याओं का समाधान करता है। साथ ही, यह नई प्रमाणन श्रेणियों द्वारा कंटेंट को विनियमित करता है। वर्तमान समय में दर्शकों के **ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स** की ओर झुकाव में वृद्धि को देखते हुए, **समाज एवं इस उद्योग की बेहतरी के लिए इनका अभी से ही विनियमन करना आवश्यक है।**

6.7. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 {The Cinematograph (Certification) Rules, 2024}

प्रमुख प्रावधान

- CBFC के सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
- अब बोर्ड में **एक-तिहाई सदस्य महिलाएं** होंगी।
- **बेहतर दक्षता:** फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करके **सुधार किया जा सकता है।**
- **प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग का प्रावधान:** फिल्म निर्माता को कोई तात्कालिकता महसूस होने पर।
- टेलीविजन के लिए फिल्म की श्रेणी में बदलाव।

सिनेमैटोग्राफ से संबंधित न्यायिक निर्णय

एस. रंगराजन आदि बनाम पी. जगजीवन राम वाद, (1989): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई फिल्म आपत्तिजनक नहीं है तथा उसे **अनुच्छेद 19(2) के तहत** संवैधानिक रूप से **प्रतिबंधित** नहीं किया जा सकता है, तो प्रदर्शन, जुलूस या हिंसा की धमकियों के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता है।

मुद्दे/ समस्याएं

- **ऑनलाइन पायरेसी से निपटने में विफल**
- **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म विनियमित करने का अधिकार नहीं है।**
- **प्रमाणन में देरी**
- अत्यधिक सेंसरशिप संभावित रूप से कलात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा डाल सकती है।

निष्कर्ष

हालांकि, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 में प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थित संचालन और विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व करना एक सकारात्मक कदम है, फिर भी सेंसरशिप, कंटेंट पर नियंत्रण आदि को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करना प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

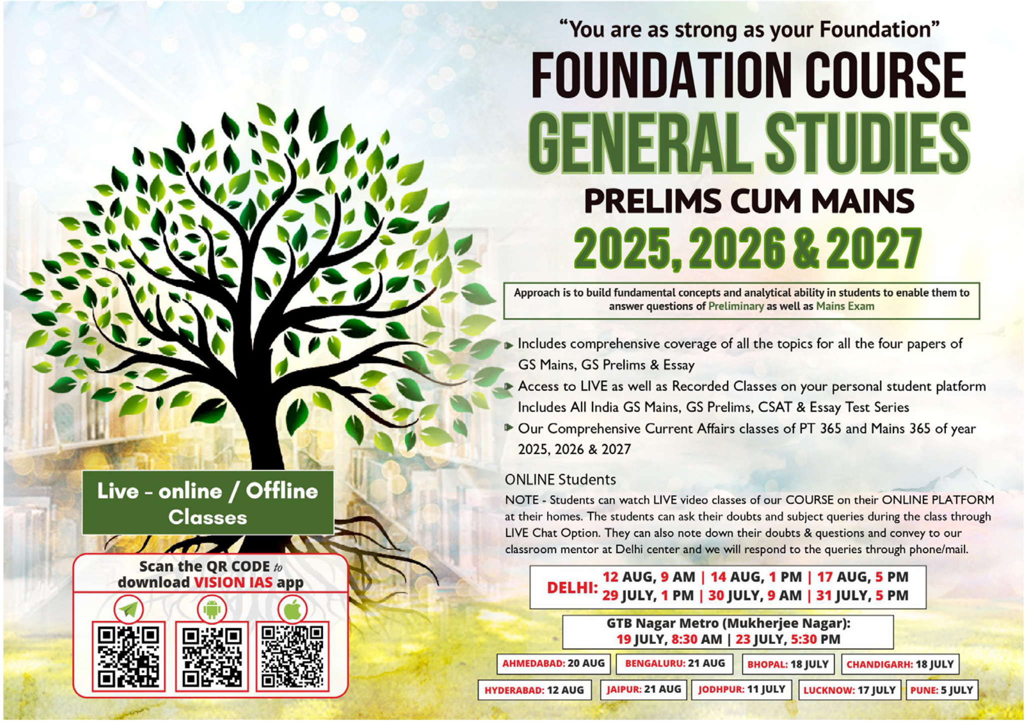

6.8. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण (Constitutionalization of Environmental Issues)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह टिप्पणी की है, कि "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार" को संविधान के **अनुच्छेद 14 और 21** के तहत मान्यता दी जानी चाहिए।

न्यायिक निर्णय

- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद, (1978):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोग और संक्रमण के खतरे से मुक्त **वातावरण का अधिकार** अनुच्छेद 21 में निहित है।
- **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1987):** संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार** को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है।
- **रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, (1988):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 21** के हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण यानी बेहतर पर्यावरण में रहने के अधिकार को मान्यता दी थी।
- **वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ वाद (1996):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **"एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle)"** और **"प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Polluter Pays Principle)"** वस्तुतः "संधारणीय विकास" की अनिवार्य विशेषताएं हैं।

लागू करने में चुनौतियां

- **अत्यधिक बोझ तले दबी हमारी न्यायिक प्रणाली:** ऐसे में पर्यावरणीय विवादों और मामलों को सुलझाने में भी देरी हो सकती है
- प्रदूषणकर्ता की पहचान करने में कठिनाई
- विकासात्मक कार्य और पर्यावरणीय कानून में टकराव
- पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने और उनका समाधान करने में कठिनाई
- कमजोर निगरानी

आगे की राह

- सरकार न्यायिक देरी की समस्या से निपटने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) जैसी संस्था बना सकती है।
- जलवायु परिवर्तन और संबंधित चिंताओं से निपटने और उसे दूर करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है।
- पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित करके **संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।**
- **यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स** ने अपने कई फैसलों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ आम जन की ओर से कानूनी मुकदमों का समर्थन किया है। ऐसे उदाहरण विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा कर सकते हैं।

6.9. भारत में मंदिरों का विनियमन (Temple Regulation in India)

मंदिरों को विनियमित करने के लिए संवैधानिक और संस्थागत ढांचा

- **अनुच्छेद 25(1):** यह अनुच्छेद **धार्मिक स्वतंत्रता** प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 26:** यह अनुच्छेद **धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान** करता है।
- **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE):** देश में अलग-अलग राज्यों ने विधायी एवं विनियामकीय फ्रेमवर्क्स लागू किए हैं।
- **हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग (1960):** इस आयोग ने यह मत प्रकट किया था कि मंदिरों में कुप्रशासन को रोकने के लिए सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण होना आवश्यक है।

पक्ष में तर्क

- **सामाजिक सुधार:** भेदभाव को समाप्त करके वंशानुगत पुरोहितवाद को चुनौती दी है।
- **वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व:** उदाहरण के लिए- तमिलनाडु ने HR&CE अधिनियम के तहत मंदिर के न्यासी बोर्ड में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाया है।
- **कुशल मंदिर प्रबंधन।**
- **सामुदायिक कल्याण।**

विपक्ष में तर्क

- **पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत** का उल्लंघन करता है
- **ऑपरेशनल स्वायत्तता में कमी**
- **सांस्कृतिक पूंजी की हानि**
- **पर्यटन की संभावनाओं को नुकसान**
- राज्य का नियंत्रण होने पर राज्य आदिवासी समुदायों के पूजा स्थलों के विशिष्ट/ **अनूठे रीति-रिवाजों** और परंपराओं के **प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता है।**

मंदिरों से जुड़े न्यायिक निर्णय

- **केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर वाद, (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से संबंधित संपत्तियों पर पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार को **शेबैतशिप (Shebaitship) अधिकार (मंदिर के प्रबंधन का अधिकार)** प्रदान किया था।
- **शेषम्मल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि **किसी मंदिर में अर्चक (पुजारी) की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य** है तथा इन पुजारियों (अर्चकों) द्वारा किए जाने वाले केवल धार्मिक अनुष्ठान ही धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं।

आगे की राह

- **मंदिरों को उनके आकार के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत** किया जा सकता है और मंदिरों को **हब एंड स्पोक मॉडल** के आधार पर समूहबद्ध किया जा सकता है।
- **राज्य-स्तरीय मंदिर प्रशासन बोर्ड** का गठन किया जा सकता है। इस बोर्ड में राज्य स्तर के अधिकारी ही शामिल होने चाहिए। इस बोर्ड को **मंदिर प्रबंधन समिति (TMC)** द्वारा सहायता प्राप्त होनी चाहिए।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV):** मंदिरों के विकास के लिए **मंदिर विकास और संवर्धन निगम (TDPC)** का गठन किया जा सकता है।
- **सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन:** भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु **केरल में देवस्वओम** (भगवान की संपत्ति) की अवधारणा एक आदर्श मॉडल है।

7. स्थानीय स्वशासन (LOCAL GOVERNANCE)

7.1. भारत में अर्बन गवर्नेंस (Urban Governance in India)

भारत में अर्बन गवर्नेंस को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

- **बढ़ती शहरी आबादी:** 2050 तक शहरी हिस्सेदारी 50% से अधिक होने का अनुमान है।
- **स्थानिक नियोजन:** 39% राजधानी शहरों में सक्रिय स्थानिक योजनाएं नहीं हैं।
- **74वें संविधान संशोधन अधिनियम:** विवेकाधीन भाषा के कारण कई प्रमुख प्रावधान राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
- **नगरपालिका के पास कम बजट:** राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है, जो ब्राजील के 7% से काफी कम है।
- **जवाबदेही का अभाव:** राजकोट में लगी आग की घटना पर SIT रिपोर्ट अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर करती है।

अर्बन गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम

- **लोकल एरिया प्लान और टाउन प्लानिंग स्कीम**
- **स्मार्ट सिटी मिशन**
- **पी.एम. स्वनिधी योजना**
- **अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) मिशन**

आगे की राह

- भारत के शहरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 4Es- आर्थिक विकास (Economic growth), पर्यावरणीय संधारणीयता (Environmental sustainability), अवसरों और सेवाओं तक समान पहुंच (Equitable access to opportunities and services) और लोकतांत्रिक सहभागिता (Democratic Engagement) के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **विकेंद्रीकृत नियोजन**
- एक **व्यापक डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली** विकसित करनी चाहिए।
- सार्वजनिक सेवाओं के लिए **इंदौर नगर निगम की पद्धतियों** को अपनाना चाहिए
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम आवश्यक प्रासंगिक सुधार पर आम सहमति बनाने के लिए GST परिषद की तरह एक **उच्च-स्तरीय परिषद का गठन** करना चाहिए।
- **वित्त-पोषण के वैकल्पिक स्रोत** (नगरपालिका बॉण्ड्स, पूल्ड फाइनेंसिंग)

7.2. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण {CAPACITY BUILDING OF URBAN LOCAL BODIES (ULBS)}

ULBS के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता क्यों?

- ULBS के लिए संस्थागत भूमिकाओं व **कार्यों को सुव्यवस्थित** करना।
- भारत के शहरी केंद्र देश के लिए '**विकास के इंजन**' के रूप कार्य करते हैं और देश की आर्थिक संवृद्धि में लगभग **दो-तिहाई** योगदान करते हैं।
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए।
- स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन आदि **योजनाओं के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए।**

शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण से जुड़ी चुनौतियां

- **आंशिक हस्तांतरण**
- **संगठनात्मक विकास संबंधी रणनीति का अभाव:** व्यापक कैडर एवं कैडर संबंधी नियम।
- **उपयुक्त कौशल वाले कर्मचारियों की कमी।**
- निजी क्षेत्रक और नागरिक समाज के साथ **संचार के प्रभावी चैनल की उपस्थिति नहीं है।**

ULBs के क्षमता निर्माण हेतु किए गए उपाय

- शहरी स्थानीय निकायों के लिए **क्षमता निर्माण योजना**
- **"शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण" परियोजना:** यह **विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना है।**
- **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (2021)**
- **म्युनिसिपल बॉण्ड्स**
- **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM)**

आगे की राह

- **नगरपालिका कैडर** प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और इन्हें विशेष कार्यों हेतु **विशिष्ट प्रशिक्षण** भी प्रदान किया जाना चाहिए।
- केंद्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए **एक अलग प्रभाग या प्रकोष्ठ का निर्माण**
- **प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना**
- **साझेदारी के जरिये क्षमता निर्माण:** उदाहरण के लिए- निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण जैसे चुनिंदा कार्यों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना।

7.3. पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति {Finances of Panchayati Raj Institutions (PRIs)}

PRIs के लिए वित्त के स्रोत

- **राजस्व के आंतरिक/ स्वयं के स्रोत**
- **केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से धन का अंतरण**
- **अन्य स्रोत:** विश्व बैंक जैसे **अंतर्राष्ट्रीय निकायों से दिए जाने वाले अनुदान**

PRIs के वित्त से जुड़ी चुनौतियां

- राज्य वित्त आयोग (SFC) का नियमित रूप से गठन नहीं किया गया।
- PRIs की **राजव्य और व्यय पर डेटा की कमी है** इसके कारण PRIs के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करना काफी कठिन कार्य है।
- **भ्रष्टाचार।**
- **पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत सीमित** हैं। इनमें मुख्य रूप से संपत्ति कर, शुल्क, जुर्माना आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- निधि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए **सख्त वित्तीय जवाबदेही उपाय** अपनाने चाहिए। साथ ही, **नियमित और स्वतंत्र लेखा-परीक्षा** की व्यवस्था करनी चाहिए तथा **पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित** करना चाहिए।
- SFC का गठन **प्रत्येक पांच वर्ष में** किया जाना चाहिए।
- **बजटीय आवंटन में वृद्धि**

8. महत्वपूर्ण अधिनियम एवं विधान (IMPORTANT ACTS AND LEGISLATIONS)

8.1. नारी शक्ति वंदन {संविधान (106वां संविधान संशोधन)} अधिनियम, 2023 [Nari Shakti Vandan {Constitution (106th Amendment)} Act, 2023]

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A को जोड़ा गया है: इसमें लोक सभा, राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान** करना है।
- इसमें अनुच्छेद 330 और 332 के तहत **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों** की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण भी शामिल है।
- अनुच्छेद 239AA: **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली की विधान सभा** में महिलाओं (अनुसूचित जाति सहित) को एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है।
- महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो **पहली जनगणना आयोजित होगी, उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद** लागू होगा, जो 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा
- महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का **आवधिक रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन** के बाद किया जाएगा।

विधायिका में महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

- **विधायिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व:** 18वीं लोक सभा के लिए 74 महिला सांसद चुनी गई हैं।
- **लैंगिक रूप से संवेदनशील लोक नीतियां तैयार करना**
- **स्थानीय स्तर पर आरक्षण से लाभ** (उनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों को दर्ज कराने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।)
- **राजनीतिक दलों की पुरुष सत्तात्मक प्रकृति।**

इस अधिनियम को लेकर प्रकट की गई चिंताएं

- संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत है।
- मतदाता के चयन करने के अधिकार पर प्रभाव
- **राज्य सभा और राज्य की विधान परिषदों में आरक्षण नहीं**
- **सीटों का रोटेशन** (संसद/राज्य विधान सभाओं के सदस्यों में उनके निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव जीतने की अनिश्चितता)
- **महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण पर कम प्रभाव** (राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव)
- महिलाएं एक जातीय समूह की तरह कोई सजातीय समुदाय नहीं हैं।

निष्कर्ष

वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, निर्धारित समय-सीमा के भीतर **जनगणना के डेटा** का प्रकाशन करना और संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत **परिसीमन करना** महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण प्रयासों के तहत स्थानीय स्तर पर **महिला नेताओं को प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करने** में नागरिक समाज को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

8.2. दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act 2023)

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को प्रतिस्थापित** किया है।
- दूरसंचार, स्पेक्ट्रम, उपयोगकर्ता जैसी **विविध शब्दावलियों को परिभाषित** किया गया है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही, **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी बढ़ावा** मिलेगा।
- **राइट-ऑफ-वे (RoW):** यह बिना किसी भेदभाव के आधार पर सार्वजनिक/निजी संपत्ति के लिए फ्रेमवर्क है।
- **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (इसका नाम** बदलकर **डिजिटल भारत निधि** किया गया है।): इस निधि का **दूरसंचार सेवाओं के अनुसंधान एवं विकास का समर्थन** करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा,** कोई यूजर विज्ञापन या इसी तरह के कोई अन्य मैसेज प्राप्त करना चाहता है या नहीं, इसके लिए यूजर्स से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसी तरह 'डू नॉट डिस्टर्ब' रजिस्टर तैयार किया जाएगा।
- केंद्र सरकार सेवा **मानकों एवं नियमों के अनुसार होने के लिए मूल्यांकन उपायों को अधिसूचित** कर सकती है।

अधिनियम से जुड़ी कुछ चिंताएं

- **निजता संबंधी मुद्दे:** संदेशों पर पाबंदी और निगरानी की अनुमति देने संबंधी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके कारण डेटा लीक जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
- **परिभाषाओं में स्पष्टता का अभाव:** प्रदान की गई दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा काफी व्यापक है। इसकी वजह से इसके दायरे में व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं।
- **प्रत्यायोजित विधान (Delegated legislation):** सरकार केवल एक अधिसूचना के माध्यम से इस **अधिनियम में नए अपराधों को जोड़ सकती है, संशोधित कर सकती है या हटा** सकती है।

निष्कर्ष

यह अधिनियम दूरसंचार क्षेत्रक में मौजूद कई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, जैसे- स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े हुए मुद्दे आदि। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु **बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाया** जाना चाहिए।

8.3. ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स का विनियमन {Over-The-Top (OTT) Platforms Regulations}

ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स

ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स के बारे में

OTT संचार सेवाएं इंटरनेट के जरिए रियल टाइम में व्यक्ति से व्यक्ति को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका उदाहरण है- व्हाट्सएप और मीडिया सेवाएं (जैसे, नेटफ्लिक्स) शामिल हैं।

OTT प्लेटफॉर्म्स का विनियमन

IT अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** ऑनलाइन प्रकाशकों द्वारा कंटेंट के विनियमन के लिए एक फ्रेमवर्क निर्धारित करते हैं।

केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप जैसी OTT संचार सेवाएं **दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नहीं आती हैं।**

OTT प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की जरूरत क्यों हैं?

- **उपभोक्ता संरक्षण।**
- OTT संचार सेवाओं का **आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों द्वारा दुरूपयोग** किया जा सकता है।
- **पारंपरिक मीडिया के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा** को बढ़ावा मिलता है।
- **राजस्व की उचित रिपोर्टिंग और कराधान सुनिश्चित** होता है।

OTT प्लेटफॉर्म्स के विनियमन से जुड़ी चिंताएं

- **अत्यधिक विनियमन की संभावना।**
- उपभोक्ता के लिए **OTT सेवाओं की कीमतों में वृद्धि** हो सकती है।
- **कठोर विनियमन** बाजार में नए OTT प्लेयर्स के प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- एक देश में **एकल विनियामकीय** के कारण वैश्विक दर्शकों के लिए OTT संचालन को जटिल हो गया।

निष्कर्ष

रचनात्मक स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा को संतुलित करते हुए एक व्यापक और गतिशील विनियामकीय फ्रेमवर्क विकसित करना।

8.4 इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)

इंटरनेट शटडाउन

शासित

इसे **दूरसंचार सेवाओं का निलंबन "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885"** के तहत अधिसूचित **दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017** द्वारा शासित किया जाता है।

न्यायिक निर्णय

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद (2020): इस संदर्भ में न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए थे:

- इंटरनेट का निलंबन **केवल अस्थायी अवधि के लिए** ही किया जा सकता है।
- इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश **न्यायिक समीक्षा के अधीन** होगा।

इंटरनेट शटडाउन के लिए उत्तरदायी कारण

- राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा (कश्मीर में वर्ष 2020 में इंटरनेट बंद किया गया था)
- लोक व्यवस्था (मणिपुर में चल रही नृजातीय हिंसा, 2023)
- **सामाजिक अशांति** (2018 में **कोल्हापुर** जिले में भीमा-कोरेगांव युद्ध)
- **2021** में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में धोखाधड़ी को रोकने के लिए राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन किया गया था।

इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव

- इंटरनेट शटडाउन **वंचित समुदायों को प्रभावित** करता है और अवसरों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है।
- **आर्थिक नुकसान:** जनवरी से जून, 2023 के बीच **विदेशी निवेश के मामले में 118 मिलियन डॉलर का नुकसान** हुआ था।
- शटडाउन ऑनलाइन सेवाओं, तक पहुंच बनाने में रुकावट डालता है। (एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा)
- **मौलिक अधिकारों पर प्रभाव {अनुच्छेद 19, 19 (1) (g)}**
- **आपदा प्रबंधन:** इंटरनेट शटडाउन के कारण सूचना के प्रसार में बाधा पैदा होती है।

आगे की राह

- सार्वजनिक आपातकाल और सुरक्षा के लिए मापदंडों को संहिताबद्ध करना
- **इंटरनेट शटडाउन के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र** स्थापित करना चाहिए।
- **ओवर-द-टॉप (OTT)** सेवाओं के उपयोग पर चयनित रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।
- इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश **न्यायिक समीक्षा के अधीन** होगा **{अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद (2020)}**

8.5. प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 {Press and Registration of Periodicals (PRP) Bill, 2023}

अधिनियम के बारे में: इस कानून ने औपनिवेशिक युग के **प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (PRB) अधिनियम, 1867** की जगह ली है।

PRP अधिनियम 2023 की आवश्यकता क्यों थी?

- पुराने कानून में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया **बोझिल और जटिल** थी।
- **पुराने कानून में कार्यान्वयन के स्तर पर देरी और कई अन्य बाधाएं मौजूद थी।**
- PRB कानून **मीडिया के बदलते स्वरूप और गवर्नेंस** के तरीके के अनुरूप नहीं था।
- पुराने कानून में शामिल दंड से जुड़े प्रावधान पूरी तरह से **स्वतंत्र भारत और संविधान के मूल्यों** के अनुरूप नहीं थे।

PRP अधिनियम, 2023 के लाभ

- **डिजिटलीकरण:** इसमें प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करने की अनुमति दी गई है।
- **प्रक्रिया को तीव्र बनाना:** यह अधिनियम किसी पत्रिका के प्रकाशक को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) के पास ऑनलाइन आवेदन दाखिल करके।
- **गैर-अपराधीकरण:** उदाहरण के लिए- जेल की सजा के स्थान पर जुर्माना लगाया जाए।
- **पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में आसानी:** यह प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) को पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित/ रद्द करने का अधिकार देता है।
- **स्पष्टता प्रदान करता है:** उदाहरण के लिए- विदेशी प्रकाशन के प्रतिकृति संस्करण इत्यादि।

निष्कर्ष

PRP अधिनियम, 2023 वर्तमान स्वतंत्र प्रेस के युग और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के अनुरूप है। यह अधिनियम विश्वास, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के जरिए तीव्रता से तथा अधिक कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने पर जोर देता है। साथ ही, यह डिजिटल गवर्नेंस का भी प्रावधान करता है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

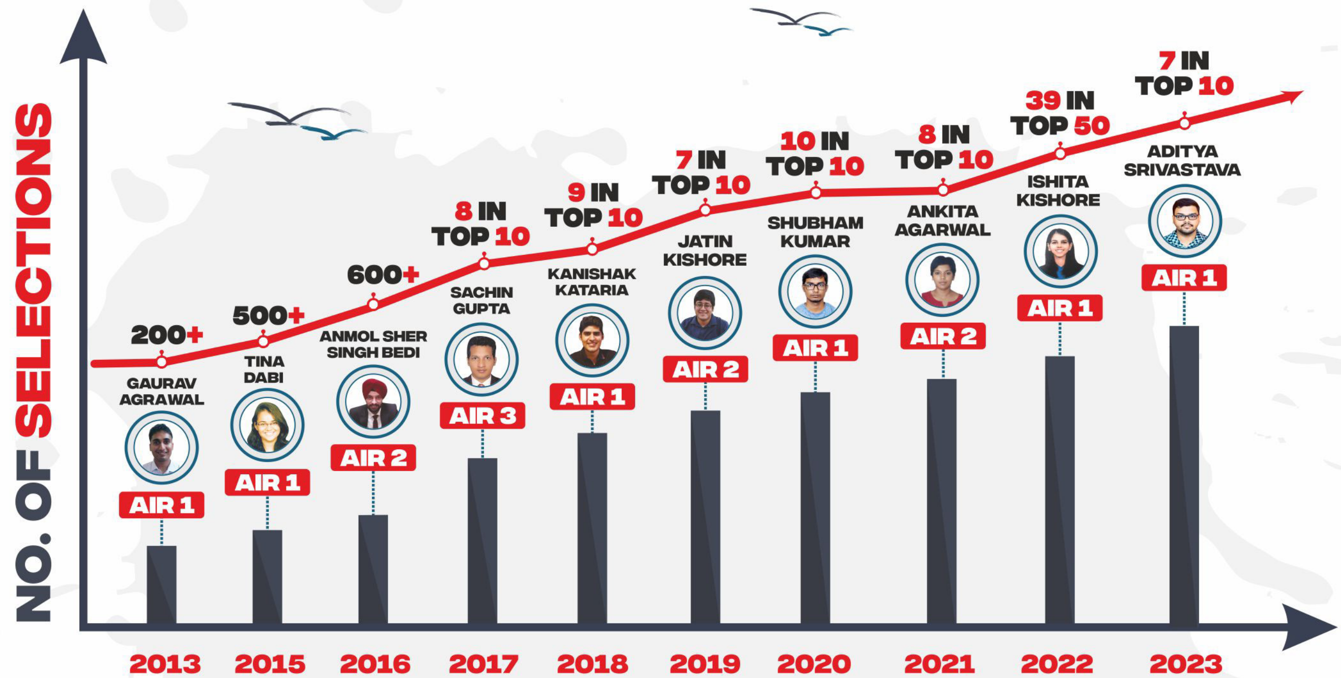

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
29 JULY, 1 PM | 30 JULY, 9 AM | 31 JULY, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 AUG | BENGALURU: 21 AUG | BHOPAL: 18 JULY | CHANDIGARH: 18 JULY

HYDERABAD: 12 AUG | JAIPUR: 21 AUG | JODHPUR: 11 JULY | LUCKNOW: 17 JULY | PUNE: 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 16 अगस्त | JODHPUR: 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc
/c/VisionIASdelhi
/c/VisionIASdelhi
/t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
79
in TOP 100 Selections in CSE 2023
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Aditya Srivastava
2 AIR
Animesh Pradhan
5 AIR
Ruhani
6 AIR
Srishti Dabas
7 AIR
Anmol Rathore
9 AIR
Nausheen
10 AIR
Aishwaryam Prajapati
हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में
हिंदी माध्यम टॉपर
53 AIR
मोहन लाल
136 AIR
अर्पित कुमार
238 AIR
विपिन दुबे
257 AIR
मनीषा धार्वे
313 AIR
मयंक दुबे
517 AIR
देवेश पाराशर
UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें
53 AIR
मोहन लाल
TOPPERS' TALK
AIR 136
अर्पित कुमार
TOPPERS' TALK
विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न
UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति
DELHI
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ़
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची